राजस्थान विधान सभा

५५ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक--१७ अगस्त, सन् १९५४

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ४ बजे (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री एच० के० व्यास।

सदन की गण-पूर्ति न होने संबंधी

श्री रामकिशोर व्यास—I think the quorum is not complete.

श्री अध्यक्ष—It is just 16 and including myself 17

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १४१६

गूगों तथा बहरों की स्कूल के शिक्षकों को डिसमिस करने के पश्चात् पुनः लेने पर तीन वर्ष का वेतन नही मिलने सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer:-

(1) Is it a fact that two Instructors in Carpentary and Tailoring in the Deaf and Dumb School, Jaipur, selected by the Public Service Commission were dismissed by the Head Master in 1951 ?

(2) Is it a fact that the above Instructors were subsequently reinstated by the Department ?

(3) Is the Government aware that their Last Pay Certificates have not yet been issued and they have not been paid their salaries for the last three years ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(4) If so, will the Government take immediate steps in this matter ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(1) Yes.

(2) Yes.

(3) Last Pay Certificates have been issued. The Head Master of the Deaf Dumb School did not draw their salary for the period of suspension and dismissal within the period prescribed. The bills, therefore, became time-barred. Necessary action to meet audit objections and make payment of salaries is now being taken.

(4) Government is taking steps immediately to secure the payment of the salary to the instructors concerned and to take disciplinary action against the Head Master responsible for delay in payment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Does the salary remain still unpaid?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—Government is taking steps immediately to secure the payment of the salary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इस सिलसिले में हुक्म शाया हो चुका है या अभी तक विचाराधीन है ?

श्री भोलानाथ—हुक्म तो निकल गया, तभी तो उनको वापिस लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हुक्म होने पर भी उनकी तनख्वाह को अटकाये रखा, उसके लिये कौन जुम्मेदार है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोलानाथ—इसमें जिम्मेदारी तो हैडमास्टर की है। थोड़ी सी भूल यह हो गई कि उसने सस्पेन्ड किया था और वह सस्पेंडेन्ड पिरियड का फैसला खुद नहीं कर सकता था। उसने फोर्थ क्लास सरवेन्ट समझ कर ऐसा किया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस संबन्ध में क्या कुछ कार्यवाही की गई है या कुछ कार्यवाही के सिलसिले में प्रोसिडिंग्ज़ चालू है।

श्री भोलानाथ—अभी उसकी इन्क्वायरी हो रही है।

Page No.3

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसकी रेगुलर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है ?

श्री भोलानाथ—रेगुलर इन्क्वायरी हुई, इसी से तो उसे रिइन्सटेट किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिसने अनऑथोराइज्ड काम किया और फिर रिएपोइन्ट होने पर भी इतने दिनों तक उसके बिल को रोका और इनकार किया, उसके खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोलानाथ—दोनों बातों के लिये, हटाने पर और डिले के बारे में जांच हो रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न में लिखा है कि वह डिसमिस किया गया। क्या उसको हटाया गया या डिसमिस किया गया ?

श्री भोलानाथ—उसको हटाया गया और रीइन्सटीटेट किया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हटाना, डिसमिस करना और रीमूव करना अलग अलग चीज़ है।

श्री भोलानाथ—उसको सर्विस से निकाल दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४१७

जयपुर के श्रमविभाग में गबन के विषय में विभाग के अध्यक्ष की उपेक्षा

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for labour pleased to answer;

(a) Did any case of defalcation occur in the Labour Dept. at jaipur ?

(b) If so, what was the amount involved ?

(c) Has the Government conducted any enquiry in the matter ?

(d) Will the Government state as to who was responsible for keeping such a large amount under custody of a clerk ?

(e) Has any action been taken against the Head of the Department for culpable negligence ?

श्री चंदनमल वैद (उप मंत्री)—(ए) हां।

(बी) ८,८६०, रुपये।

(सी) हां।

(डी) उत्तरदायित्व का प्रश्न 'एम्बेज़लमेंट कमेटी' के विचाराधीन है।

(इ) नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये कौनसे मद की रकम लेबर डिपार्टमेंट में पड़ी थी?

श्री चंदनमल वैद—मजदूरों के मुआवजा सम्बन्धी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट का निश्चित आदेश है कि २००) या ४००) रुपयों से ज्यादा रकम हो तो डिपार्टमेंट के केश में नहीं रखी जानी चाहिये, फिर यह रकम क्यों रखी गई?

श्री चन्दनमल वैद—इस आदेश की अवहेलना हुई है और किसने इसकी अवहेलना की है उसका प्रश्न एम्बेजलमेंट कमेटी के विचाराधीन है। जिन्होंने कसूर किया है उनको सजा दी जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह रकम जब एक व्यक्ति के पास थी तब बार बार सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाने पर भी वह ट्रेज़री में जमा नहीं कराई गई?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एम्बेज़लमेंट कमेटी के पास यह मामला जाने से पहले प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हो चुकी है अथवा नहीं।

श्री चन्दनमल वैद—जिस व्यक्ति ने गबन किया उसको सजा हो चुकी है। ज्यादा रकम रखने की किसकी जिम्मेदारी थी उसका सब एम्बेज़लमेंट कमेटी की फाइन्डिंग्स आने के बाद पता चलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि रेस्पोन्सिबिलीटी डिटरमिन करने के लिये क्या प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है या नहीं?

Page No.5

श्री चन्दनमल वैद—इन्क्वायरी हुई है, केस चल चुका है। सजा भी एक आदमी को मिल चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Government conducted any preliminary enquiry to ascertain the responsibility of the defalcation in terms of violation of rules ?

श्री चन्दनमल वैद—The matter has been sent to the Embezzlement Eaquiry Committee.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was the matter sent to the Committee before the preliminary enquiry or after the preliminary enquiry was completed.

श्री चन्दनमल वैद— The matter has been sent to the committee for this purpose.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हो चुकी है इस सिलसिले में और बाद में कोर्ट में केस दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—He has replied.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let him contradict, sir.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member seeks information.

श्री हरिकृष्ण व्यास— I am seeking confirmation of this whether it is a fact that preliminary enquiry has been made...

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Mfnister has replied.

श्री चंदनमल वैद—When this question has once been decided by the Court of law there is no question of having a preliminary enquiry or a final enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was held before the case was sent to the Court of Law ?

श्री अध्यक्ष—Order please ! Any other supplementary ?

Page No.6

प्रश्न संख्या १४१८

राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स की संख्या एवं प्रत्येक का उत्पादन

श्री **चांदमल मेहता**—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में टैक्सटाइल मिल्स कितनी हैं ? उनका प्रत्येक का ५३–५४ के वर्ष का कितना २ उत्पादन रहा ?

(२) उक्त उत्पादन ५१–५२ के मुकाबिले में कितना कम है ?

(३) उक्त कमी के क्या कारण है ?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मंत्री)— (१) राजस्थान में टैक्सटाइल मिलें ७ हैं; इनमें सन् १९५३–५४ में भिन्न भिन्न मिलों का उत्पादन कितना था, यह Collection of statistics Act, 1953 की धारा ७ के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से नहीं बतलाया जा सकता ।

(२) सन् १९५३–५४ का उत्पादन कम नहीं है बल्कि ३४, ४०, १६१ गज कपड़ा व २५, ५७, ४६६ पौंड सूत ५१–५२ के वर्ष से अधिक उत्पादित हुआ ।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री **चांदमल मेहता**—ऐसी कौन कौनसी मिलें हैं जिनका उत्पादन सन् ५१–५२ के मुकाबले में ५३–५४ में घटा है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—यह अलग सवाल है ।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न यह पूछा गया था कि राजस्थान में कितनी मिलें हैं और उनका ५३–५४ के वर्ष में कितना उत्पादन रहा और ५१–५२ के मुकाबले में ५३–५४ में कितना कम रहा । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौनसी मिलें हैं जिनका उत्पादन ५१–५२ के मुकाबले में ५३–५४ में घटा है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—अलग २ मिलों का कितना २ उत्पादन हुआ, यह मैं आपको नहीं बता सकता ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह बता सकते हैं कि महाराजा किशनगढ़ मिल्स का उत्पादन सन् १९५३–५४ में सन् १९५१–५२ के मुकाबले में घटा है या बढ़ा है ?

Page No.7

श्री **चन्दनमल वैद**—मैंने आपको बताया कि अलग अलग नहीं बताया जा सकता।

श्री **चांदमल मेहता**—तो जो फीगर्स मंत्री महोदय ने बताये हैं वे सारी मिलों से जांच करके नहीं बताये गये हैं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—अलग अलग मिलों के फीगर्स मैं आपको नहीं बता सकता।

श्री **चांदमल मेहता**—अलग अलग मिलों के लिए मैं जानकारी चाहता हूँ कि अलग अलग मिलों में सन् १६५१-५२ के मुकाबले में सन् ५३-५४ में उत्पादन घटा या बढ़ा ?

श्री **चन्दनमल वैद**—मैंने आपको एक्ट का नाम बताया था और उसकी धारा का भी प्रयोग किया। उसके अनुसार मैं नहीं बता सकता।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४१६

राजस्थान में हैंडलूम फैक्टरीज की संख्या एवं उत्पादन

श्री **चांदमल मेहता**—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में हैन्डलूम फेक्ट्रीज़ कितनी है ?

(२) उक्त फेक्ट्रीज़ में पिछले ५ साल में कितना कितना कपड़ा बनाया गया ?

(३) किशनगढ़ में कितनी हैन्डलूम फेक्ट्रीज़ है ? उनमें कितनी चालू हैं ?

(४) उक्त फेक्ट्रीज़ का पिछले ५ साल का कितना कितना उत्पादन रहा ?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मंत्री)—(१) राजस्थान में नियंत्रण के समय में हैन्डलूम फेक्ट्रीज़ करीब १६२ थीं, नियंत्रण हट जाने से बहुत सी हैन्डलूम फेक्ट्रीज़ बन्द हो गईं। उद्योग विभाग में बन्द व चालू फेक्ट्रीज़ की सूचना प्राप्त नहीं है और सूचना एकत्रित की जा रही है। आज कल चालू फेक्ट्रीज़ की संख्या ८० के लगभग मानी जा सकती है

(२) पांच साल में कितना कपड़ा बनाया गया, इसके अंक अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसका रेकर्ड उद्योग व व्यापार विभाग में नहीं रखा जाता है।

(३) किशनगढ़ में ५ हैडलूम फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से ४ चालू हैं।

Page No.8

[श्री चन्दनमल वैद]

(४) उत्तर नं० दो में अंकित है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हैन्डलूम का उत्पादन सालों-साल गिरता जा रहा है?

श्री चन्दनमल वैद—यह तो मैंने जो आंकडे दिये है, उनसे साफ लगता है।

श्री चांदमल मेहता—इस उत्पादन के गिरने का क्या कारण है?

श्री चंदनमल वैद—नियंत्रण हट जाना।

श्री चान्दमल मेहता—सरकार हैन्डलूम फेक्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई योजना रखती है?

श्री चन्दनमल वैद—यह तो अखिल भारतीय प्रश्न है और अखिल भारतीय रूप में ही सुलझाया जा सकता है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि मद्रास आदि प्रान्तों ने 'प्रांतीय बेसिस' पर योजना बनाई थी? तो क्या राजस्थान सरकार भी इस प्रकार की योजना को बनाने का विचार रखती है या कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री चन्दनमल वैद—कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—तो क्या विचार करेगी?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार हैन्डलूम फेक्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनायगी?

श्री **चन्दनमल वैद**—मैंने कहा कि अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है, भविष्य के लिए देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.9

प्रश्न संख्या १४२०

भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ स्टेट पोस्ट ऑफिस को कब बन्द किया गया ?

(ख) उक्त पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का कितने समय का वेतन नहीं दिया गया है और उसका क्या कारण है ?

(ग) भूतपूर्व पोस्टमास्टर कन्हैयालाल से पोस्ट ऑफिस का कब चार्ज सम्भाला गया और चार्ज में कितनी लागत के टिकिट व स्टाम्प सम्भालें गये ?

(घ) उक्त स्टाम्प्स व टिकिट का अब क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—चूंकि यह विभाग केन्द्रीय सरकार के आधीन है अत: यह उत्तर वहीं से पूछा जा सकता है ।

श्री चान्दमल मेहता—प्रश्न जो पूछा गया है उसमें वह उस वक्त की बात है जब कि पोस्ट ऑफिस राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में था और इस प्रश्न की जानकारी मंत्री महोदय को मिली है ।

श्री भोलानाथ—एसेट्स एन्ड लायबिलीटीज और अन्य सब कागजात वहां (केन्द्रीय सरकार के पास) पहुँचा दिये गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—सारी जानकारी सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट से आ चुकी है और मंत्री महोदय चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री भोलानाथ—पोस्ट आफिस के सम्बन्ध में कोई डिपार्टमेन्ट नहीं है ।

श्री चान्दमल मेहता—सवाल यह है कि राजस्थान सरकार के अन्तर्गत यह पहले महकमा था और वह उस वक्त रियासत के अन्तर्गत था । पेमेन्ट वगैरह की राजस्थान सरकार की उस वक्त की तो लायबिलीटी रहती तो है । उस वक्त के लिए ही मैंने सवाल पूछा है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के अन्तर्गत जाने के बाद का नहीं ।

Page No.10

श्री भोलानाथ—भारत सरकार जब फायदा उठाती है तो नुकसान भरने की भी जिम्मेदार वही है। फायदा उठाती है तो नुक्सान हुआ था, वह भी देना ही होगा।

श्री चान्दमल मेहता—जब राजस्थान सरकार के कब्जे में था उस वक्त की तनख्वाह आदि की यह बात है और उसका जो पेमेन्ट होगा वह राजस्थान सरकार के कोष से ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने तो जब से चार्ज सम्भाला है तब से नुकसान आदि की जिम्मेदार वह हो सकती है, किन्तु उसके पहले के लिए तो राजस्थान सरकार ही जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय ! मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को आप जवाब देने के लिए निवेदन करें।

श्री भोलानाथ—अब इस सम्बन्ध में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। भारत सरकार से पूछा जाय, यदि कोई देना बकाया रह गया हो तो।

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कलेक्टर किशनगढ़ से उनके पास सूचना आ चुकी है और उसको बताने में उनको क्या हिचकिचाहट है।

श्री भोलानाथ—सेपरेट रेवेन्यू में इस विषय के कोई कागजात नहीं है। यह मैंने पता लगा लिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस मामले को स्पष्ट कर दूं कि यह प्रश्न हमारे ओफिस से स्वीकृत हो गया है किन्तु राजस्थान सरकार उस महकमे को अब नहीं सम्भाले हुई है। वह महकमा जो फोर्मर किशनगढ़ स्टेट में था और उसके सक्सेसर के किसी विभाग में नहीं आया क्योंकि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, अतः यह उसके अन्तर्गत आता है। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में सवाल पूछा जा सकता है। फिर भी यदि मंत्री महोदय के पास कोई सूचना है और वे देना चाहें तो दे सकते हैं किन्तु मैं इसके लिए उनको कम्पेल नहीं कर सकता।

श्री चान्दमल मेहता—तो क्या पेमेन्ट का सवाल भी वहीं से होगा।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय सदस्य की जानकारी मंत्री महोदय से अधिक है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२१

राजस्थान में बाहर से सीमेंट मंगाना और उससे कस्टम की आय

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले तीन सालों में राजस्थान में बाहर से कितने २ टन सीमेंट मंगाया गया ?

(२) उक्त सीमेन्ट पर कितनी कितनी रकम की आय सरकार को कस्टम ड्युटी के रूप में हुई ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) पिछले ३ सालों में राजस्थान में सीमेन्ट के आयात के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है :—

१.	१९५१-५२	१,७८,६७४	मन
२.	१९५२-५३	१,७९,९३०	,,
३.	१९५३-५४	३,३९,२७८	,,

(२) उक्त सीमेन्ट के आयात पर राजस्थान सरकार को कस्टम ड्युटी की जो आमदनी हुई वह नीचे लिखे अनुसार है :

१.	सन् १९५१-५२	२२,२६४) रु०
२.	१९५२-५३	२१,९९१) रु०
३.	१९५३-५४	४२,४४१) रु०

श्री चांदमल मेहता—जो सीमेंट आयात हुई है उसमें इम्पोर्टेड सीमेंट कितनी है ?

श्री भोलानाथ—इम्पोर्टेड का क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष—Foreign.

श्री भोलानाथ—जो भी बाहर से आई है उस पर कस्टम ड्युटी ली गई है।

श्री चांदमल मेहता—हिन्दुस्तान से बाहर की कितनी सीमेंट आई ?

श्री भोलानथ—इसके आंकडे कस्टम विभाग में नहीं रहते।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान में मौजूदा सीमेन्ट का उत्पादन राजस्थान की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है ?

श्री भोलानाथ—इस बात से कस्टम विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। कस्टम विभाग तो जो सीमेन्ट इम्पोर्ट होती है उसकी कस्टम ड्युटी लेता हैं। कितनी आती है और कितनी खपत है, यह प्रश्न दूसरा है। कितनी आई और कितनी गई, या कोई चोरी या गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कस्टम विभाग है। कम ज्यादा के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२२

श्री अध्यक्ष—श्री प्रतापसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४२३

राजस्थान में गोटा उद्योग तथा इसका उत्पादन

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में गोटा उद्योग कहां कहां चलता है ?

(२) उक्त उद्योगों से ५३-५४ के वर्ष में कितने मूल्य का गोटा तैयार किया गया ?

(३) किशनगढ़ शहर की फेक्टरीज़ में पिछले पांच साल में गोटे का कितना कितना उत्पादन हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि यहां यह उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है ?

(५) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(१) गोटा उद्योग जयपुर, जोधपुर, पाली, किशनगढ़, नवलगढ़, सीकर और खंडेला में चलता है।

(२) इस विषय की सूचना उद्योग विभाग में नहीं रखी जाती।

[श्री चन्दनमल वैद]

(३) इस विषय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(४) हां।

(५) इसका कारण आधुनिक युग में गोटे से अरुचि होना है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री के यह जानकारी में है कि ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता न देने की वजह से ये उद्योग गिरते जा रहे हैं ?

श्री चंदनमल वैद—इसका मुख्य कारण है आधुनिक युग में गोटे का कम उपयोग होना

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि किशनगढ़ की गोटा फेक्ट्री ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की थी ?

श्री चंदनमल वैद—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि किशनगढ़ की गोटा फेक्ट्री आर्थिक कठिनाइयों की वजह से गिरी है, अन्य कोई कारण से नहीं ?

श्री अध्यक्ष—अब आप दरखास्त दे दीजिये रुपये पैसे यदि चाहते हों तो।

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई दरखास्त इस विभाग के पास नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२४

धौलपुर यूनिट में कपास उत्पादन तथा ऐसी कृषकों को सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर यूनिट में लगभग ३०-३५ वर्ष पर्व कपास की खूब पैदावार होती थी ? अब न होने का क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि बाडी टाउन (धौलपुर युनिट) में, कपास की उटाई के लिये मिल लगाई गई थी ? क्या वह उखड चुकी है ? यदि हां, तो क्या]कारण हैं ?

(ग) क्या यह बतलाने की कृपा की जावेगी कि जिस समय कपास की मिल लगाई थी, सरकार की तरफ से क्या कोई पैक्ट हुआ था ?

[श्री हंसराज जटिया]

(घ) क्या सरकार वहां पर (धौलपुर में) कृषकों को कपास पैदा करने के लिये कोई सहायता देने का विचार रखती है ?

(ङ) क्या यह आशा की जावे कि सरकार इस ओर प्रगतिशील कदम उठाने को कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चंदनमल वैद (उप मंत्री)—(क) धौलपुर यूनिट में कपास की पैदावार के गत ३०-३५ वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

(ख) यह सच है कि वाडी टाउन (धौलपुर युनिट) में कपास की उटाई के लिये मिल थी जो उखड़ चुकी है। इसका कारण पैदावार का कम होना है ?

(ग) भूतपूर्व धौलपुरकी सरकारके समय कपास की मिल लगाइ गई थी उस समय क्या पैकट हुआ था, उस संबन्धी रेकर्ड प्राप्त नहीं है।

(घ) व (ङ) कृषि विभाग की ओर से खाद बांटा जाता है, और भी सहायता दी जाती है। यदि कृषकों की तरफ से और सहायता की मांग होगी तो बढ़ाई जा सकती है।

प्रश्न संख्या १४२५

महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ के अध्यापकों को समय पर वार्षिक वेतन वृद्धि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ के अध्यापकों को इन्क्रीमेंट वक्त पर नहीं दिया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—(१) महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ के समस्त अध्यापकों को सिवाय निम्नलिखित दो अध्यापकों के सलाना ग्रेड इन्क्रीमेन्ट ठीक समय पर दिया गया है; श्री रूप नारायण और श्री श्यामसुन्दर।

Page No.15

[श्री भोलानाथ]

(२) कार्यालय के कर्मचारी अध्यापकों के फिक्सेशन कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त दो अध्यापकों का ग्रेड इन्क्रीमेंट पिछले दो माह से अवश्य रुक गया था लेकिन अब उसकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री **चांदमल महता**—क्या यह सही है कि ५३-५४ का ग्रेड इन्क्रीमेंट जो अप्रेल के महीने में दिया जाना चाहिये था चार महीने बाद शुरू हुआ है?

श्री **भोलानाथ**—नहीं, अप्रेल में ही ड्यू था।

श्री **चांदमल महता**—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि जो इन्क्रीमेंट १ अप्रेल से शुरू हो जाना चाहिये था वह चार महीने बाद शुरू हुआ है?

श्री **भोलानाथ**—जिस तारीख से ड्यू हुआ है उसी तारीख से मिलेगा।

श्री **चांदमल मेहता**—ग्रेड इन्क्रीमेंट तो १ अप्रेल से ड्यू हुआ था, किन्तु १ अप्रेल में न मिलकर चार महिने तक उस इन्क्रीमेन्ट से वंचित रखने का और आगे की तारीख से शुरू करने का क्या कारण है?

श्री **भोलानाथ**—ऐसी बात नहीं होगी। अगर ऐसी गलती हुई होगी तो ठीक किया जायगा।

श्री **चांदमल मेहता**—अब इसकी जांच करके कब तक उनको ग्रेड इन्क्रीमेन्ट दिला दिया जायगा।

श्री **भोलानाथ**—कार्यवाही जारी है। आपने जो मजीद सूचना दी उसके बारे में भी कार्यवाही की जायगी।

श्री **अध्यक्ष**:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२६

चौमू, गोविन्दगढ़ व बदाल, जिला जयपुर के थानों में बरामद शुदा चोरियें तथा माल

श्री **अंगदराम**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) जयपुर जिला के चौमू, गोविन्दगढ़ व बगाल के थानों में विगत एक वर्ष के अन्दर चोरी की कुल कितनी वारदाते हुई हैं व उनमें से कितने मामलों की उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज है?

[श्री अंगदराम]

(ख) इन सारे मामलों में कुल कितने रुपये का माल चोरी गया है, कितना माल बरामद हुआ है और कुल कितने पेसों का अदालत में चालान किया गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—(क) १४८ मामले सन् १९५३ में दर्ज हुए।

(ख) कुल ५४,२५६ रू० १३ आने का जो माल चोरी गया उसमें से २६,३३६ रू० का माल बरामद हुआ है।

५२ मामलों का चालान हुआ।

प्रश्न संख्या १४२७

गोविंदगढ़ तथा बदाल (जि जयपुर) के चोरी के पुराने मामले एक वर्ष से अदालतों में

श्री अंगदराम—क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले के गोविन्दगढ़ व बदाल थाने के कितने चोरी के केस सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहे हैं और उन केसों में कितने केस ऐसे हैं जो एक साल से अधिक चल रहे हैं और कितने दो साल या तीन साल के अर्से से चल रहे हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)—२३ केस। इनमें से १५ मामले गत एक वर्ष तथा बाकी आठ मामले दो साल से अधिक समय से चल रहे हैं।

प्रश्न संख्या १४२८

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४२९

जयपुर जिले के थानों का तीन वर्षों की चोरी का ब्योरा

श्री अंगदराम—क्या मुख्य मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या मुख्य जयपुर जिले के थानों के विगत ३ वर्षों में चोरी की रिपोर्टों के आंकडे अलग अलग देने की कृपा करेंगे ?

[श्री अंगदराम]

(ख) क्या इन आंकड़ों के आधार पर यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जिलों के थानों में चोरी की वारदातें इस वर्ष विगत दो वर्षों की अपेक्षा कम हुई है या ज्यादा बढ़ गई हैं और अगर वारदातें ज्यादा बढ़ गई हैं तो सरकार उनको रोकने के लिये क्या क्या इन्तजाम कर रही है ?

(ग) क्या चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए सरकार आमेर तहसील के कुल कस्बों में रात्रि में पहरे की व्यवस्था के लिये पुलिस को आवश्यक आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

श्रीनरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(क) यह आंकड़े निम्नलिखित हैं

सन् १९५१ में २०८८ चोरियें। सन् १९५२ में २३७० चोरियें। सन् १९५३ में २२०० चोरियें। जून १९५४ तक ६१३ चोरियें।

(ख) निस्संदेह कम हुई हैं।

(ग) ऐसे आदेश पहले से ही जारी हो चुके हैं।

प्रश्न संख्या १४३०

आमेर तहसील के अभ्यस्त अपराधियों की पुलिस में उपस्थिति

श्री **अंगदराम**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

आमेर तहसील में कुल कितने अभ्यस्त अपराधी हैं और उनमें से कितने अब तक हाजरी पाबन्द कर दिये गये हैं और कितनों को और करना बाकी है ? वे कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—आमेर तहसील में ५२ आदमियों के नाम अभ्यस्त अपराधी घोषित करने के लिए सिफारिश की गई है।

इनको हाजिरी पाबन्द करने का मामला विचाराधीन है और अभी तक कोई भी अपराधी अभ्यस्त अपराधी घोषित नहीं किया गया है। मामला शीघ्र ही तय कर दिया जायगा।

श्री **अंगदराम**—क्या अभी तक कोई अभ्यस्त अपराधी घोषित नहीं किया गया ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—इस सम्बन्धी मामला शीघ्र ही तय कर दिया जायगा।

श्री **रामदयाल उपाध्याय**—किस वजह से अब तक अभ्यस्त अपराधी घोषित नहीं किया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा--दर असल हेबीच्युअल ओफेन्डर के रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स बन जायेंगे तब कार्यवाही हो जायगी।

प्रश्न संख्या १४३१

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

(प्रश्न कर्त्री अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ठ १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४३२

सन् ५३-५४ में हत्यायें तथा अपराधियों को दण्ड

श्री चांदमल मेहता--क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में कितने कत्ल हुए ?

(ख) इन कत्लों में कितने व्यक्तियों को सजा हुई ?

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)—(क) चार।

(ख) एक को।

(ग) कुछ नहीं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने मामले हैं जिसमें मुल्जिम बिल्कुल बरी हो गये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—तीन।

श्री चांदमल मेहता—इन मुल्जिमों के बरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—This question dose not arise.

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कत्ल के मामले पुलिस की उदासीनता की वज़ह से खारिज होजाते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसी बात नहीं। यह तो मजिस्ट्रेट के अधिकार की बात होती है।

श्री चांदमल मेहता--क्या माननीय मन्त्री महोदय के पास इस किस्म की शिकायत आई कि फलां फलां कत्ल का मामला पुलिस की उदासीनता की वजह से खारिज़ हुआ है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि पुलिस इन्वेस्टीगेशन में बहुत सारी खामियां रख देती है इसलिए मामले खारिज हो जाते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जहां तक इन मामलों का ताल्लुक है यह सच नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इनमें से किन २ मामलों को माननीय मंत्री महोदय ने पर्सनली देखा है ?

श्री अध्यक्ष—This question does not arise, Any other supplementory?

(विराम)

प्रश्न संख्या १४३३

श्री प्रतापसिंह

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री जगतसिंह झाला, डि. नं० ६४ ने ११ अगस्त, १६५४ से १८ अगस्त, १६५४ तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री एच. के. व्यास का नियम-संपादन संबन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—Motion by Shri H.K. Vyas regarding the framing of Rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir; I beg to move the following Motion for consideration of this House:—

"That this House do now proceed to consider and adopt Rules as per Article 208 (1) read with Article 238 of the Constitution of India and that the present Rules be taken as a draft for such consideration."

यह जो प्रस्ताव इस सदन के रूल्स बनाने के सिलसिले में मैंने प्रस्तुत किया है, उसका सबसे पहला सम्बन्ध जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०८ और अनुच्छेद २३८ से है।

अनुच्छेद २०८ में इस बात का उल्लेख है कि "(1) A House of Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provision of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

इस धारा के मुताबिक इस सदन को अधिकार हो जाता है और यह सदन का जिम्मा भी हो जाता है कि संविधान की धाराओं को खयाल में रखते हुए अपने कार्य को चलाने के लिये अपने नियम खुद बनावे।

जो मौजूदा नियम आज हमारे इस सदन में लागू हैं उनका एक छोटा सा इतिहास है। मेरा खयाल है कि सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि मौजूदा विधान सभा के बनने से पहले राजस्थान में 'विधान सभा' तथा 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' नाम की इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी और इस वजह से पंजाब के जो रूल्स थे वे रूल्स श्रीमान् राजप्रमुख द्वारा राजस्थान के लिए एडोप्ट किये गये और लागू किये गये और इसके बाद में इस संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत, चूंकि उनमें कुछ संशोधन आवश्यक थे, इसलिये वे संशोधन इस सदन के माननीय अध्यक्ष ने किये। ऐसे संशोधित जो नियम हैं वे नियम आज हमारे सदन की कार्यवाही को रेगूलेट करने के लिये नियमों के रूप में चल रहे हैं और यह है इतिहास कि जो किस प्रकार से ये नियम बने, इसको प्रदर्शित करता है।

राजस्थान विधान सभा के ये संशोधित नियम जब के शाया हुए और लागू हुए उस समय से, मेरी मान्यता है, और हाउस ऑफ दी पीपुल्स, (भारतीय लोक सभा) के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनमें नियम जो हैं, उनके साथ राजस्थान विधान सभा के नियमों की तुलना करने से ऐसा प्रतीत भी होता है कि हमारी विधान सभा के नियम लगभग कई बातों में तो पूरी तरह से और कई बातों में लगभग हाउस ऑफ दी पीपुल्स के नियमों से मेल खाते हुए बनाये गये थे। लेकिन इस बीच में हाउस ऑफ दी पीपुल्स के नियम हैं उनमें कई संशोधन हो गये। पिछले तीन सालों के कार्य के अनुभव के बाद कई नये नियम उनमें लागू कर दिये गये और इस प्रकार से भारतीय

Page No.21

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पार्लियामेंट के जो नियम हैं वे आज़ मौजूदा हालत में कई माने में जुदा हो गये हैं और उस प्रकार का कोई संशोधन राजस्थान की विधान सभा के नियमों में अभी तक नहीं किया गया है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात की ओर कि आज पार्लियामेन्ट में एक नया नियम बनाया गया है जिसका सम्बन्ध है 'ड्रॉ अटेन्शन' के नाम की प्रथा से। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह खड़े होकर कोई विशेष घटना अगर हुई है तो उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करे और यदि वह ऐसा करे तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय को उसके बारे में एक स्टेटमेन्ट देना पडता हैं।

प्रश्नों के बीच में, क्वेश्चनों के बीच में, और एडजोर्नमेन्ट मोशन के बीच में एक यह नई चीज़, नई प्रथा भारतीय पार्लियामेन्ट में लागू कर दी गई और इस वजह से बहुत से ऐसे मसले जो एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में ही आ सकते हैं वे मसले अब 'ड्रॉ अटेन्शन' की इस प्रथा के अनुसार सदन के सामने आ जाते हैं और मुमकिन है इस वजह से बिजनेस ऑफ दी पार्लियामेन्ट के एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिलसिले में जो आज दृष्टिकोण है वह थोडा सख्त भी हो सकता है क्योंकि यह नई व्यवस्था कर दी गई है सामान्य रूप से ऐसे मसलों को सदन के सामने लाने की। लेकिन यहां राजस्थान की विधान सभा में ऐसा हमने न संशोधन किया है और न इस सिलसिले में आज तक जिक्र ही आया है।

एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे हम अपना पावें। यह मुमकिन है, ऐसा कार्य हो सकता है जिसके जरिये, एक प्रश्न के जरिये जो चीज़ उठाई जा सके और एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में उठाई जा सके, इन दोनों के मध्य में जो महत्व की चीज़ हो, लेकिन शायद इतने महत्व की न हो कि एडजोर्नमेंट मोशन बन सके तो ये शब्द भी करीब करीब इसी प्रकार के उपयोग में लाये जा सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में अगर आप रूल २६ को मुलाहिजा करेंगे तो जो शब्द इस्तैमाल में लाये गये हैं वे ये हैं :

"Any matter of public concern."

इसके बाद हाफ एन अवर डिस्कशन की ओर हम जावें तो रूल ४३ आता है जिसमें ये शब्द इस्तैमाल में लाये गये हैं कि :

"Matter of sufficient public importance."

एडजोर्नमेंट मोशन में ये शब्द इस्तेमाल आये हैं कि : "Matter of urgent public importance" रूल ६० में यह है। तो जैसे कई ऐसे स्तर पर स्तर हैं। अलग अलग स्तर के महत्व की समस्याएं हैं। इनको सदन के सामने लाने की गुंजाइश इस प्रकार के रूल्स भी बनाने से हो जाती है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

केवल एक ही बात ऐसी हुई हो, ऐसा नहीं है। कई ऐसी तब्दीलियां हाउस ऑफ दी पीपुल्स ने की हैं।

मैं और मिसाल दूं। प्राइवेट बिजनेस के बारे में...

श्री अध्यक्ष—All these things will be discussed when we take into consideration these Rules of Business rule by rule.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a point as to why it is necessary to have the rules of business framed atonce.

श्री अध्यक्ष—It is necessary according to the Constitution.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I quite conceive that it is a right given to us by the Constitution but the Constitution says that the House may (अवश्य) Now it is for the House to come to a decision...

श्री अध्यक्ष—The House will have to frame rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is correct, but whether the House should take it now or defer it for some time; that will depend upon the urgency of the matter.

अध्यक्ष—It is for the House to decide. It is not necessary to go at length on this. When we take them rule by rule then.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—If I remember it, already a notice of amendment has been given to my resolution proposed to be moved by the Hon'ble Chief Minister, which, to an extent, takes the view that the matter may be referred to a Select Committee. Naturally, therefore, it is necessary to enable the House to come to a conclusion whether it should proceed with this business now or it should refer this matter to a Select Committee. It is something which is primarily related to the urgency of the question. I am only developing this point in regard to proving the urgency of this matter.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सदन के ऐसे कई मसले हैं। मसलन प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस के बारे में। इस सदन के माननीय सदस्यों ने जिक्र भी किया है कि हमें समय कम मिलता है और हमने यह महसूस भी किया है कि प्राइवेट बिजनेस के लिए हमारे सदन में जितना आवश्यक है उतना समय नहीं मिलता। इस समस्या का हल क्या है? पार्लियामेन्ट ने हर शुक्रवार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के आखिरी दो घंटो का समय प्राईवेट मेम्बर्स बिजनैस के लिए मुकर्रर कर दिये हैं। तो यह भी एक ऐसी मिसाल है जिस पर हम विचार कर सकते हैं। हमें विचार करना भी चाहिये। रोजमर्रा के काम में हमारी सहूलियत के लिये यह मददगार हो सकेगा।

और भी मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करूं कि पिछले साल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एश्योरेंसेज कमेटी का नियम बनाया गया था और उसकी पहली रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। जो सदन के इस फ्लोर पर एश्योरेन्सेज़ दिये जाते हैं उन एश्योरेन्सेज़ का, उन आश्वसनों का कहां तक पालन होता है और कहां तक पालन नहीं होता है इस सिलसिले में एक कमेटी लगातार जांच करती रहे और वह अपनी जांच का नतीजा सदन के सामने प्रस्तुत करती रहे। मेरा खयाल है कि राजस्थान विधान सभा ने जितना कार्य आज तक किया है उसको देखते हुए इस प्रकार की एक एश्योरेन्सेज़ कमेटी शायद हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मुकाबले में राजस्थान विधान सभा के लिए ज्यादा जरूरी है, यदि ऐसा मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आश्वासन इसी खयाल से दिये जाते हैं कि बाद में अमल नहीं करें तो पूछने वाला कौन है। इस तरह का पार्लियामेन्ट्री कन्ट्रोल, जिसका हम बराबर जिक्र करते रहते हैं, वह पार्लियामेन्ट्री कन्ट्रोल किस प्रकार से बढ़ पाये और किस प्रकार से वह लगातार अमल में आ पाये इस दृष्टिकोण से बहुत से ऐसे प्रोवीज़न्स हो सकते थे, और किये जा सकते हैं कि जो आज मौजूदा रूल्स में नहीं हैं। यहां तक कि सदन के बिजनेस को रेग्यूलेट करने के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जाय, कौन कौन सा बिजनेस आने वाला है, उसकी प्रायोरिटी मुकर्रर की जाय, कितना समय लगभग किसको दिया जाय, इस सिलसिले में बिजनेस कमेटी बनाने का प्रोविजन हाउस ऑफ पार्लियामेंट के कानून में किया गया है।

तो मैं अब पूरी तफसील में न जाते हुए केवल इतना ही कहूँगा कि जिस वजह से मैं यह आवश्यक समझता हूं कि सदन तुरन्त इस कार्यवाई को अपने हाथ में ले और सबसे बड़ा महत्व का काम इसको समझे, वह इसलिए कि जिस बिना पर या आधार पर रूल्स शायद हमारे यहां बने थे उस आधार में काफी परिवर्तन हो चुका है किन्तु वह परिवर्तन आज हमारे रूल्स में नहीं हो पाया है। हमारे अनुभव ने इस बात को देखा है कि काफी कठिनाइयां पैदा होती हैं और उन कठिनाइयों को हल करने के लिये कोई चारा नजर नहीं आता। यह समस्या इस सदन में नया कानून बनाकर और इस कानून को बनाने का काम हाथ में लेकर, हल कर सकते हैं।

दूसरा कारण जिसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि इस सदन में आज तक के कार्य के अनुभव के बाद हमने यह महसूस किया है और कम से कम मैंने तो अवश्य महसूस किया है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे अन्य कई सदस्य भी इस अनुभव में हिस्सेदार रहे हों, कि कई रूल्स तो इतने वेग (vague) हैं या इन्डेफिनिट हैं कि उस वजह से सदन की कार्यवाही में उलझने आती हैं और उन उलझनों का हम हल नहीं निकाल पाते हैं। एक दो मिसाल उस सिलसिले में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो प्रश्नों के संबन्ध में रूल बनाया है २६ उस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

२६ रूल के भाग (२) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसमें यह जिक्र किया गया है कि यदि किसी प्रश्न के लिये ज्यादा समय की आवश्यकता हो तो उसे माननीय अध्यक्ष चाहें तो १५ दिन के बाद जब कि उसका टर्न आता है, उसके बाद भी अनुकूल उत्तर के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कहीं सफाई नहीं कि ज्यादा समय लगेगा, यह सूचना संबंधित मंत्री को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस बात का कहीं उल्लेख नहीं कि सदन में प्रश्न प्रस्तुत होने से पहले आज्ञा लेनी चाहिये अथवा सदन में खड़े होकर कह सकते हैं कि इस प्रश्न पर ज्यादा समय लगेगा। नतीजा यह होता है कि काफी समय बेकार जाया होता है। ऐसा प्रोवीजन कर लें कि ज्यादा समय की आवश्यकता हो तो within tentdays. इस प्रकार की दरख्वास्त उस विभाग के द्वारा हो जानी चाहिये। जिसका नतीजा यह होगा कि हम उन प्रश्नों को यहां सदन में इसके बाद फिर पोस्टपोन करने की आफत से बच जायेंगे। फिर उन्हें आगे पुट अप कर सकते हैं। यहां कई बार यह उलझन आती है कि आधा उत्तर तो मिल गया और आधा उत्तर नहीं मिलता है और चूंकि वह लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ गया है इसलिए फिर पूछ नहीं सकते हैं और बाकी आधे के उत्तर के लिये दूसरा तरीका सोचना पड़ता है।

ऐसे ही मैं आपका ध्यान जो प्रिविलेज मोशन के सिलसिले में रूल ५१ है उसकी ओर दिलाऊंगा। मैं जिन चीजों का जिक्र कर रहा हूं उनका जिक्र करने से पहले एक बात साफ कर देना चाहूँगा और वह यह है कि यह लेजिस्लेटिव बिजनेस की प्रथा, इस प्रकार के सदन का बनना और उसमें आब्जेक्शन होना, उसमें बहस होना, एक ढंग से अंग्रेजों के जमाने ही शुरू हुई थी भारत में और बावजूद विरोध के शुरू हुई थी और यह साफ था कि उसमें यह कोशिश करें कि रूल्स ऐसे बनें, कार्य का तरीका ऐसा बने कि जिससे जहां तक हो वहां तक विधान सभा की कार्यवाहियों को एक दायरे में बन्द किया जा सके और उन्हें एक दायरे के बाहर निकलने का तरीका नहीं मिल सके। मुझे अफसोस है कि उस आधार पर बनाये हुये जो नियम थे, उस आधार पर जो बनाये हुये रूल्स थे, उनका कई जगह समावेश आज भी हमारे रूल्स में वैसा ही चला आ आ रहा है जैसा आज से १० साल पहले के जमाने में शायद वह लागू हुआ था। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जो मौजूदा प्रजातन्त्र के जमाने में हम इस सदन की कार्यवाहियों के ऊपर बन्धन लगाना आज पसन्द करेंगे या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गुंजायश हो प्रश्नों के लाने की, वादविवाद के जरिये समस्याओं के हल करवाने की। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ५१ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसका ताल्लुक प्रिविलेज मोशन से है। उसमें यह कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष चाहें तो सदन को इस बात की सूचना दे सकते हैं कि अमुक अमुक मोशन आया था या नहीं और चाहें तो सूचना भी न दें। मैं इस राय का हूं कि ऐसे जो प्रोवीजन्स है पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है इसलिये कि सदन के सामने तो कम से कम सब चीज़ आ जानी चाहिये कि किस बात की मंजूरी दी गई है और किस बात की मन्जूरी नहीं दी गई है, यह सब चीज आवश्यक तौर पर एज़ ए मेटर ऑफ नेसेसिटी सदन के सामने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आनी चाहिये और इसलिए जितने प्रश्न हैं जिनका कि ताल्लुक है और जो रूल्स में वेगनेस और दूसरी वजह से कुछ कठिनाइयां हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी तब्दील करना चाहिए।

इसी प्रकार एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रूल्स का ताल्लुक एस्टीमेट कमेटी से है। यह जो रूल है, इस रूल के भाग पांच और भाग पांचवें के भाग (सी) की ओर मैं आपके जरिये, माननीय अध्यक्ष, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें यह उल्लेखित है कि यदि एस्टीमेट कमेटी के चेयरमेन जिनकी कि नियुक्ति माननीय अध्यक्ष करते हैं, यदि वह किसी सबब से गैरहाजिर हों तो कमेटी उनके स्थान पर दूसरा चेयरमेन नियुक्त कर सकती है। उसके बाद कोई सफाई नहीं है कि यदि कोई एस्टीमेट कमेटी का चेयरमेन लगातार गैर हाजिर रहता है, लगभग पूरे वर्ष गैरहाजिर रहता है तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, और वैसी स्थिति में उस कमेटी को क्या अख्त्यार होगा कि क्या वह अपना चेयरमेन खुद मुकर्रर कर पायेगी अथवा कमेटी को अधिकार नहीं होगा तो अस्थाई तौर पर बनाये हुए चेयरमेन के आधार पर काम कैसे चलेगा? रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार कौन देगा, किसकी ओर से वह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी, यह टेक्निकल प्रश्न हैं। आज टेक्निकल प्रश्नों की उलझन आती है तो उन उलझनों को दूर करने का एक ही तरीका हो सकता है और वह तरीका यह है, माननीय अध्यक्ष, कि उनके बारे में क्लियर कट रूल्स बनें, उनके बारे में कोई गुंजाइश न रहे। इस प्रकार की उलझनें आने से आज तक के जो अनुभव हुए हैं उनका उपयोग करें और ऐसी स्थिति बनायें जिसमें इन्टरप्रिटेशन के आधार पर इस प्रकार की उलझन पैदा न हो पाये। यहां तक मैं अर्ज करना चाहूँगा कि कई ऐसे रूल्स हैं इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर कि जिनको इनकार करने के लिए गुंजाइश हो जाती है या हमारे अपने खुद का मतलब निकालने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उसका साफ साफ जिक्र नहीं है; उसका तात्पर्य क्या होगा।

मैं जिक्र करूंगा टाइम लिमिट ऑफ दी डिबेट की तरफ। यदि हम इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर को गौर से पढ़ें तो हम पायेंगे कि राजप्रमुख के एड्रेस के सिलसिले में अथवा बजट के सिलसिले में जहां पर आम और सामान्य वाद विवाद होता है, इन दोनों का जहां जिक्र है वहां रूल्स में.....

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य असंगत तो नहीं जा रहे हैं? ड्राफ्ट रूल्स रख रहे हैं और उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप ड्राफ्ट रूल्स रख सकते हैं और उनके सपोर्ट में कुछ कह सकते हैं। इन्हीं ड्राफ्ट रूल्स को क्रिटिसाइज़ करने से उनका मतलब क्या है? जब मोशन यह है कि ये ड्राफ्ट रूल्स हैं तो ड्राफ्ट रूल्स को सपोर्ट करना चाहिये।

[श्री अध्यक्ष]

The Hon'ble Member while advocating the cause of his motion must support his motion. It is not the subject matter of this motion to criticize these rules. It is no use going out of point. The Hon'ble Member must know that I allowed the motion and the Hon'ble Member is quite entitled to put in any substitute to the present rules and the House is entitled to pass them. To criticize them is not the subject matter of this motion. When we are taking the present rules as draft rules, the Hon'ble Member must support these rules. It is no use criticizing these rules. When the motion comes and we proceed to consider these rules clause by clause, he can put substitutes in the House. Then he is perfeetly entitled to put in any amendments and piont out defects. When he goes on criticizing one rule after another it is not the scope of the motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am afraid probably I have been misunderstood. My motion is that these rules are generally right except some specific ones; I am not advocating their acceptance. I am saying that they may be taken as draft for consideration.

श्री अध्यक्ष—What are your proposals ? When you put in a motion that these rules should be taken into consideration in an ordinary course, you must advocate your rules; these are the better rules. When you go on the negative side that is not the intention of the motion. You have to support. When the Hon'ble Member says that these are the draft rules, when he goes on the negative side on the destructive side of these rules, it is not the intention of the motion. This is my point. I think I am quite clear to the Hon'ble Member. So what I desire is that he should not go beyond the spirit of the motion. When the time comes he would be perfectly entitled to put his amendments or for that purpose in any other way that is open to him. And it is no use, I think it is wasting time of the House unnecessarily over this motion. This negative side of this motion should be avoided This is what I wanted to make clear to the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If you so desire.

श्री अध्यक्ष—I do'nt want to take any of your rights of throwing light on this. I think I am quite clear to the Hon'ble Members of this House.

अधिकांश माननीय सदस्य—Yes, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है उनसे नतीजा क्या निकलता है। नतीजा यह निकलता है, अध्यक्ष महोदय, कि हमें रूल्स बनाने का जो कार्य है उसको तुरन्त हाथ में लेना चाहिये। यदि मौजूदा रूल्स ऐसे होते कि वे पूरी से पूरी मात्रा में संतोषजनक हैं तो उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती और तब तो मैं यहां खड़ा होकर इस प्रकार का मोशन यहां मूव नहीं करता, क्योंकि वह कार्य चल रहा है; संतोषजनक रीति से चल रहा है। यदि मौजूदा रूल्स फंडामेन्टली गलत होते, उनका आधार गलत होता, और प्रिन्सिपल गलत होते तो मैं निश्चित रूप से मेरा अमेन्डेड ड्राफ्ट इस मोशन के साथ भेजता। लेकिन मुझे बुनियादी तौर पर तब्दील कराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु कुछ विशेष मदों में तब्दीली की आवश्यकता, जो जरूरी है महसूस होती हैं।

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि रूल्स बनाने का कार्यक्रम हम हाथ में लें और क्योंकि मौजूदा रूल्स बने हुए हैं इसलिये उनको मस्विदा समझ कर जैसे जैसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ आगे बढ़ेंगे वैसे ही साथ की साथ आवश्यक तब्दीलियें करेंगे। मैं इस कार्य को इसलिये जरूरी समझता हूँ और जल्दी हाथ में लेना चाहता हूँ जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि जो सदन की कार्यवाही चल रही है उसके बारे में हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा मौका दें आम लोगों के दृष्टिकोण को सामने रखने का। अब जब कि हम नये संविधान के आधार पर काम कर रहे हैं तो उसी आधार पर हमको नये रूल्स बनाने चाहिये और जो पुराना साम्राज्यवादी आधार अब तक चल रहा है उसको खत्म करना चाहिये। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव आपके सामने मंजूरी के लिये रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

कुं० श्री जसवंतसिंह—May I say a few words ?

श्री अध्यक्ष—If at all necessary, because this point is quite un-controversial. I think no Member of this House would like that according to the Constitution these Rules should not be framed.

कुं० श्री जसवंतसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस सदन द्वारा रूल्स बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के बारे में दो मत नहीं हो सकते और हम लोगों का जो संविधान है उसकी यह मंशा है कि हाउस को अपने रूल्स बनाने चाहिये। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य की क्यों यह मन्शा है कि ये रूल्स, जो आवश्यक कानून इस समय बनाया जा रहा है उसको छोड़ कर, फौरन बनाये जांय। इन नियमों को तब्दील करने की आवश्यकता जरूर है यह मानने के लिये मैं तैयार हूँ। लेकिन इसमें जो जो कमियें हैं वे ऐसी कमियें प्रतीत नहीं होतीं कि जिनकी वजह से सदन के सामने इस समय जो आवश्यक कार्य

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

है उसको रोका जाकर इन रूल्स को पहले लिया जाय। इस प्रस्ताव के अमेन्डमेंट के रूप में एक प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी द्वारा लाया गया है...

श्री अध्यक्ष—वह आने वाला है।

कुं० श्री जसवंतसिंह (भाषण जारी रखते हुये)—आने वाला है जो एजेन्डा पर मौजूद है, उसको देखकर मैं यह ख्याल करता हूँ कि सरकार द्वारा वह अमेन्डमेंट इस समय मूव कर दिया जाय तो यह समस्या अच्छी तरह से हल हो सकती है। यह सदन इन रूल्स को बनाने के लिए आगे बढ़े, इस बात से सहमत होते हुए भी यह निवेदन करूंगा कि मौजूदा नियमों को आधार बनाकर यह सदन इस काम को हाथ में ले तो भली भांति काम नहीं हो सकता जितना कि एक सिलेक्ट कमेटी, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अमेंडमेंट द्वारा अंकित किया गया है; को यह काम सौंपा जायगा तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट मूव करने से पहले समर्थन प्राप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—That was an anticipatory support.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—The House is thankful for that.

"That the House may proceed to make rules for regulating its procedure and the conduct of its business as contemplated by clause (1) of Article 208 read with Article 238 of the Constitution; and for that purpose may appoint a Select Committee of this House to suggest Draft Rules for the consideration of the House. The Select Commitee may submit its report to the House within two months or by the first day of the commencement of the next Session of the Assembly, whichever is latter."

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, is it an amendment or an alternative resolution ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It is an amendment just referring it to the Select Commttee.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then it should be drafted as such.

श्री रामकिशोर व्यास—The sense is there.

श्री अध्यक्ष—We look to the intention and sense, rather than body.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरे पहले जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रूल्स को तत्काल विचारार्थ लिये जाने के बारे में जो दलील दी, और इसके साथ साथ इसमें खामियां हैं उस ओर संकेत किया इससे इतना स्पष्ट जाहिर होता था कि कुछ खामियों पर हम ज्यादा विचार कर सकें, इसकी आवश्यकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सदन में ही सीधे इन नियमों को लें जिससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि सैलेक्ट कमेटी में सब बातों पर पूरा विचार विनिमय होकर फिर सदन में रखा जाय और सदन उसे स्वीकार करे।

मैं समझता हूँ, जो संशोधन मैंने पेश किया है उस पर, जिन्होंने मूल प्रस्ताव रखा है उनको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये। हां, समय लग सकता है, पर समय लगने पर भी पूरे तौर से विचार करके वह चीज सदन के सामने आयेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।

बस मैं इतना ही कह कर उन्होंने जो अलग अलग धाराओं के बारे में कहा है, उसमें नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरा अमेंडमेंट है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, जहां इन सब बातों पर पूरी तरह से विचार हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—Accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। अगर यह हाउस प्रोरोग नहीं हुआ और यह सैशन एड्जोर्न हो गया तो ऐसी सूरत में कमेन्समेंट ऑफ दी नेक्स्ट सैशन (Commencement of the next session) से क्या मतलब लिया जायगा? Next session of the Assembly or the next sitting of the session, whichever is earlier?

श्री अध्यक्ष—अगर और मगर की बात छोड़िये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think the words are clear: "Before the next session of the Assembly".

श्री हरिकृष्ण व्यास—And supposing the session takes longer and the sitting takes earlier?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—I do not follow you exactly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मान लीजिये कि १५-२० दिन के लिए एडजोर्न होता है तो नेक्स्ट सीटिंग इसी सेशन की मानी जायगी या दूसरा सेशन होगा उसकी?

श्री अध्यक्ष– The word 'Session' is quite definite in the Rules and there need not be any discussion on the floor of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then I am making an amendment and if he is prepared to accept my amendment, I shall accept his amendment.

श्री अध्यक्ष—You may Just go near him and have a talk with him. I think there is no question of any discussion on the floor of the House. I think the words of the amendment are quite clear.

(श्री हरिकृष्ण व्यास का श्री सुखाडिया के साथ परामर्श)

श्री अध्यक्ष—Yes. Then we take the amendment.

एक माननीय सदस्य—He accepts.

श्री अध्यक्ष—So I think it is the leave of the House to accept the amendment.

(स्वीकृत)

The amendment to the motion is accepted. Then we come to the next item.

(विराम)

The names (of the members of the Seeect Committee) can be submitted afterwords.

श्री वेदपाल त्यागी—The amendment cannot be accepted without names.

श्री अध्यक्ष—I think it is better to withhold the names at present so that the people may decide after a conference . I may then announce the names tomorrow or the day after, as the case may be .

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक १९५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

Now legislative business. Consideration of the Bill will begin from Clause 13.

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज ४ की डेफिनिशन्स रिज़र्व रखी थी, वे कब तक होंगी ?

श्री अध्यक्ष—हो जायेंगीं। Why go back ?

श्री मोहनलाल सुखड़िया—(राजस्व मंत्री) उन्हें आज ले लें।

श्री अध्यक्ष—जैसी हाउस की मर्जी।

(विराम)

Then we ean take Clause 4 first.

खण्ड ४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं जो डेफिनिशन्स डेफर की गई थीं उनमें से 'एग्रीकल्चर' की डेफिनिशन के में निवेदन करूंगा। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मौजूदा बिल में यह दी हुई है कि :—

" 'Agriculture' shall include horticulture."

इस पर अमेन्डमेन्ट मूव किये गये, उसमें परबतसर से आने वाले महानुभाव ने यह अमेन्डमेंट मूव किया और इसका आधार सी०पी० टिनेन्सी बिल बताया। यह ठीक है कि सी० पी० टिनेन्सी बिल में इस प्रकार की व्याख्या दी हुई है, पर जो बात इसमें उठाई गई है कि :

"Agriculture includes raising of annual or periodical crops and garden produce."

मैं समझता हूँ कि जब हम होर्टीकल्चर कहते हैं तो गार्डन प्रोड्यूस इसमें आ जाती है। एग्रीकल्चर का मतलब हमने यह नहीं कहा कि होर्टीकल्चर, बल्कि यह कहा कि " 'Agriculture' includes horticulture." तो इसमें ऑटोमेटिकली 'raising of crops' गार्डन प्रोड्यूस (garden produce) वगैरह आता है, प्लान्टिंग एन्ड अपकीप ऑफ ओर्चर्ड्स' (Planting and upkeeping of orchards) भी आता है। इन तीनों चीजों का समावेश एग्रीकल्चर में हो जाता है। फिर दिया हुआ है :

"The reserving of land for fodder, grazing or thatching grass."

(वराम)

विधायी कार्य

Page No.32

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं समझता हूँ कि इसको एग्रीकल्चर में लेना उपयुक्त नहीं होगा। जो फोडर के लिये, ग्रेज़िंग के लिये, जगह छोड़ दी जाय; उस सब को भी एग्रीकल्चर मान लें तो यह उचित नहीं होगा। एग्रीकल्चर की डेफिनिशन सी० पी० में एक प्रकार की है, बम्बई में एक प्रकार की है तथा और प्रान्तों में और और प्रकार की हैं।

यहां पर जो डेफिनिशन दी हुई है उसमें काफी वाइड स्कोप है उन चीजों के लिए जो इसमें आ जानी चाहिये। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें ग्रेज़िंग ग्राउन्ड्स आदि को नहीं लिया जाय, बल्कि जो मूल डेफिनिशन है उसी को स्वीकार करें।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री चांदमल मेहता—मेरा अमेन्डमेंट वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या श्री चांदमल मेहता को अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन; इस 'एग्रीकल्चर' शब्द के विषय में एक संशोधन मेरा भी था, जो इस प्रकार है: "The raising of crops, grass or garden produce, dairy farming, cattle breeding and grazing."

इस एग्रीकल्चर की परिभाषा में शामिल करने के लिए मैंने अपना यह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया था। माननीय मंत्रीजी ने अभी इस संशोधन के उत्तर में फरमाया कि 'एग्रीकल्चर' शब्द स्वयं इतना व्यापक है जिसके कारण आवश्यकता नहीं है कि इन चीजों का इसमें समावेश किया जाय। मैं समझता हूँ कि जिन शब्दों की परिभाषा इस बिल में दी हुई है उन शब्दों को डिक्शनेरी में देखा जाय तो जो शब्दों का अर्थ इस बिल में है और डिक्शनेरी में है, उन दोनों में बड़ा विशेष अन्तर निकलता है। तो ऐसी सूरत में जिस शब्द की व्याख्या किसी कानून में हमको देना है तो उसके शब्दार्थ के साथ साथ हमको और भी सब बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष परिभाषा रखनी है; तो उससे सम्बन्धित आवश्यक बातें भी रखनी पड़ेंगीं। यों देखें तो यह सारा का सारा एक्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट्स से सम्बन्धित है। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि इसकी परिभाषा में

[श्री भैंरूसिंह]

उन जरूरी चीज़ों को भी जोड़ा जाय जो कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट्स से सम्बन्धित हैं और जिनका एग्रीकल्चर की परिभाषा में जोड़ना बहुत ही जरूरी है।

यदि इस (बिल) में एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि "'Agriculturist'shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihoop wholly or principally by agriculture or by cattle breeding तो यहां पर आप एग्रीकल्चर और केटल ब्रीडिंग से जो जीवन निर्वाह करते हैं उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में लेते हैं। जो एग्रीकल्चर से अपना जीवन बिताते है उनको एग्रीकल्चरिस्ट कहना चाहिये, मगर इसकी परिभाषा में हमने यह भी जोड़ दिया है 'केटल ब्रीडिंग'। एग्रीकल्चर से केटल ब्रीडिंग का सम्बन्ध है। अगर हम एग्रीकल्चर से केटल ब्रीडिंग निकाल देते हैं तो उसके शरीर की जान निकाल देते हैं। आज सारा कृषि का संबन्ध केटल ब्रीडिंग पर आधारित है। काश्तकार का भी इससे ज्यादा सम्बन्ध है, इसलिये केटल ब्रीडिंग को एग्रीकल्चरिस्ट के साथ नहीं जोड़ कर एग्रीकल्चर की डेफिनीशन में जोड़ा जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने इसके साथ साथ होर्टीकल्चर भी लगा दिया है। जब केटल ब्रीडिंग का प्रश्न आता है तो वहां पर ग्रेजिंग का प्रश्न भी आता है। इसलिये केटल ब्रीडिंग के साथ साथ ग्रेजिंग को भी जोड़ा जावे।

एग्रीकल्चर का मतलब सीधा खेती से है, यह सभी जानते हैं। अगर सीधा सा मतलब खेती से ही होता तो इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी जानते है कि एग्रीकल्चर का मतलब खेती से है लेकिन इसमें होर्टीकल्चर भी एड करना था, इसलिये यह परिभाषा रखी है। इसके साथ साथ आप रेज़िंग ओफ क्रोप्स भी एड करें। रेज़िंग ओफ क्रोप, एग्रीकल्चर की परिभाषा में केटल ब्रीडिंग, गार्डनिंग और होर्टीकल्चर आदि सब जोड़ने से पूरी होगी। मैं इस संबन्ध में माननीय मन्त्रीजी से एक बार फिर कहूंगा कि वे एक बार फिर इसको सोचें और मैं समझता हूं कि जैसा मैं ठीक समझता हूं वे भी सोचने पर समझने लगें। इस प्रकार का कई प्रोविन्सेज के एक्ट्स में प्रोविज़न है। होर्टीकल्चर के साथ साथ गार्डनिंग को एड किया गया है। यदि देखा जावे तो गार्डन प्रोड्यूस और होर्टीकल्चर में बहुत फर्क है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री इस पर फिर से सोच लें। इससे एग्रीकल्चर की परिभाषा व्यापक जावेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस रर दुबारा सोचने की आवश्यकता है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (३) पर जो श्री भैरूंसिंहजी का संशोधन है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट ड्रोप हो गया है।

[श्री सभापति]

(विराम)

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री मेहता को अपने संशोधन इस सब क्लॉज़ पर वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभाति—अब प्रश्न यह हैं कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़(३)इस क्लॉज़ ४ का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (३) इस क्लॉज़ में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ४ (४)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (४) में एग्रिकल्चरिस्ट की डेफिनेशन की गई है। इस संबन्ध में बहुत से एमेंडमेंट आये थे और उनपर काफी वाद-विवाद भी हुआ था। वाद-विवाद का खास आधार यह था कि उसके अन्दर हम एग्रीकल्चरिस्ट जो उनको स्वीकार करें कि जो स्वयम् खेती करते है और सर्वेन्ट के जरिये खेती करते हैं उनको नहीं माना जावे। दूसरी तरफ से एमेंडमेंट 'टिनेन्ट' शब्द को डिलीट करने के लिये आया और एक एमेन्डमेन्ट और आया जिसमें यह कहा गया कि जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट का खुद का कन्ट्रीब्यूशन हो उसको एग्रील्चरिस्ट समझा जावे। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह दिया गया है कि जो अधिकतर पूर्ण रूप से या मुख्यतः एग्रीकल्चर से ही जीवन बिताते हों उनको एग्रीकल्चरिस्ट स्वीकार किया जावे चाहे वे खुद या चाहे वे किसी नौकर के जरिये से या टिनेन्ट के जरिये से काश्त करते हों। मैं समझता हूं कि सारे बिल में सर्वेन्ट्स द्वारा खेती कराने का प्रोविजन हैं और यह रहना चाहिये क्योंकि हमारे यहां खेती की स्थिति है उसको देखते हुए सर्वेन्ट शब्द को रखना बहुत जरूरी है। कई जगह पर समय समय पर सर्वेन्ट की आवश्यकता होती है और पहले कई व्यक्तियों ने अपने भाषण दिये उनमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हैं कि सर्वेन्ट की आवश्यकता होती है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ज्यादा एतराज 'टिनेन्ट' शब्द पर किया गया। मैं समझता हूँ कि यह भी आवश्यक है क्योंकि टिनेन्ट का मतलब हमने सब टिनेन्ट को भी एलाउ किया है और पहले ५ साल तक और बाद में... (अश्रव्य)। जब हमने टिनेन्ट को एलाउ किया है तो उसके बाद जितने भी टिनेन्ट हैं उनको 'एग्रीकल्चरिस्ट' में नहीं कहना ठीक नहीं होगा। अगर टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं होते और सब टिनेन्ट नहीं होते तब तो हम उनको एक्सक्लूड कर देते। लेकिन जब हम टिनेन्सी लॉ ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको 'एग्रीकल्चरिस्ट' नहीं कहना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो डेफिनेशन दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब उन व्यक्तियों से है जो खेती करते हों या जिनका जीवन केटल ब्रीडिंग से होता हो और उनको एग्रीकल्चरिस्ट मुकर्रर करें, यह ठीक होगा और जो एमेंडमेंट्स आये हैं उनको वैसे ही स्वीकार करें और दूसरे नहीं तो वह बात जब होती जब कोई सब टिनेन्ट या टिनेन्ट या सर्वेन्ट की बात नहीं होती; लेकिन इस चीज के बारे में हमने प्रोवीज़न दिया है और कुछ समय के लिए इसको माना है, इसलिये जब इसको माना है तो डेफिनेशन जिस रूप में है उसको मानना जरूरी हो जाता है।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मूल में जो डेफिनिशन है उसको ही मानना ठीक होगा।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में टिनेन्ट शब्द डिलीट करने का था। माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद एक मर्तबा फिर मैं माननीय मंत्रीजी से इस शब्द को डिलीट करने के बारे में विचार करने के लिए अर्ज करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति दो डेफिनिशन में कभी भी शामिल नहीं हो सकता। यह कानून में किसी जगह नहीं है। अगर आप टिनेन्ट को और उसमें सब टीनेन्ट को भी शामिल करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि टिनेन्ट आगे चल कर 'टिनेन्ट इन चीफ' बन जाता है और 'टिनेन्ट इन चीफ' को हमने 'लेन्ड होल्डर' की डेफिनिशन में लिया है। 'टिनेन्ट इन चीफ' 'लेन्ड होल्डर' बन जाता है। आप इस बात पर एक बार फिर से विचार करें कि जो एमेंडमेंट मैंने मूव किया है वह मानने के काबिल है। मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्रीजी को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये जहां तक मेरा टूटा फूटा अनुभव है। एक ही व्यक्ति लेन्ड होल्डर भी हो सकता है और एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकता है। यह कभी होने वाली बात नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे इस बात पर फिर से विचार करें और अपना निर्णय दें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्रीजी ने जो 'एग्रीकल्चरिस्ट' की डेफिनिशन में, संशोधन पेश किये गये हैं उनको मानने में कठिनाइयां बताईं, उनसे मैं इत्तिफाक नहीं करता। इसका कारण यह कि 'एग्रीकल्चरिस्ट' की जो परिभाषा हम करने जा रहे हैं, यह एक सिद्धान्त की बात है और इसमें हमको यह करना चाहिये कि एग्रीकल्चरिस्ट वही होना चाहिए जो वास्तव में अपनी जीविका एग्रीकल्चर से कमाता हो।

[श्री वेदपाल त्यागी]

एग्रीकल्चर की यद्यपि डेफिनेशन एक्ज़ोस्टिव नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट का मायना हमेशा यह लिया जावेगा कि जो शख्स खेती से, जमीन से पैदावार करता होगा वही एग्रीकल्चरिस्ट कहलायगा। जो जमीन द्वारा उसकी पैदावार हासिल करता है अपनीमहनत से वही एग्रीकल्चरिस्ट कहलाया और वही एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आयगा। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि लोग आग दिल्ली में बैठे रहें और ज़मीन पर श्रम किसी और का हो और वे लोग आनन्द भोगें, वे भी एग्रीकल्चरिस्ट कहलाये और जो वास्तवमें एग्रीकल्चरिस्ट हैं वे उसका उपभोग न करें। तो यह एक प्रकार से सिद्धान्त की बहस है उस एग्रीकल्चरिस्ट का आगे कहीं जिक्र नहीं आया है। इसको फिर दूसरे कानून के जरिये जो मुफीद है वह हासिल हो सकता है।

टिनेन्ट्स और सब टिनेन्ट्स के बारे में जो सुझाव रखा है कि चूंकि आगे जाकर सब टिनेन्ट्स को स्वीकार किया है इसलिए एग्रीकलचरिस्ट की परिभाषा में इसका समावेश होना जरूरी है, मैं इसको नहीं मानता। और इसलिए नहीं मानता कि सब टिनेन्ट्स का जहां जिक्र किया गया है वहां काफी रेस्टिक्शन्स लगाये गये हैं, खास खास सूरत में सब टिनेन्ट्स को स्वीकार किया गया है और वे सूरतें ऐसी हैं कि उनको स्वीकार करने के बाद उनके लिये सब टिनेन्ट्स के लिये सूरतें रखी हैं और वे एग्रीकल्चरिस्ट कहलायेंगे, मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ, किन्तु एक जो डेफीनेशन एग्रीकल्चरिस्ट की रखी है उसके जरिये वे लोग एग्रीकल्चरिस्ट कहला सकते हैं; जिन्होंने आज तक जमीन पर श्रम नहीं किया और रुपयों के आधार पर उपज उन लोगों से हासिल करते हैं जो वास्तव में किसान हैं, उस जमीन पर खेती करते हैं, श्रम करते हैं। इसलिए इसमें से 'टिनेन्ट' शब्द निकाल लें तो यह नहीं होगा कि उसको सर्वेन्ट्स इस्तेमाल नहीं करें। इसमें जो डेफिनिशन दी हुई है उसमें से यदि सर्वेन्ट्स निकाल लें और खेती के लिए जो अपना श्रम देंगे, अपने श्रम से ही जो खेती करेंगे, वे ही एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, यह बात नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए सर्वेन्ट्स रखते हैं तो वे एग्रीकल्चरिस्ट की हद से निकल जावेंगे, वह बात गलत है। मुख्यतया एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में उनको लिया गया है कि जिनका श्रम उसमें नहीं है और जो केवल सरवेन्ट्सऔर सब टिनेन्ट्स के श्रम, उनके परिश्रम से ही आनन्द उडाते हैं, उपज लेते हैं और उनको एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में लाना गलत होगा। उस समय जब कि यह ट्रेंड चल रहा है कि 'लेन्ड आॅफ टिलर्स। 'टिलर्स जमीन के स्वामी हैं' यह सिद्धान्त भी उसके विरुद्ध होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे फिर से इस पर विचार करें कि इस सिद्धान्त के आधार पर हमें डेफिनिशन बनानी है। इसलिए नहीं बनानी है कि हम कुछ लोगों को रियायत देना चाहते हैं, जमीन सब टिनेन्ट्स को दे सकें। 'पर्सनली कल्टीवेटेड' तो डेफिनिशन बाद में आयगी। लेकिन वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहलायेंगे। किसी जागीरदार साहब के पास २ हजार बीघा जमीन है, वे दूसरों से काश्त करावेंगे क्योंकि यह उनका एक मात्र जरिया है, लेकिन वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहला सकते। एग्रीकल्चरिस्ट कहलावें चूंकि सिविल प्रोसिजर कोड वगैरह के अन्तर्गत जो अधिकार दिये हुए हैं; इसलिए थोडे समय के लिए यह प्रोविजन रखा है, टिनेन्ट्स के आगे सर्वेन्ट्स का प्रोविजन भी रखा है। इसलिए यह उपयुक्त है, तो मैं समझता हूँ कि सिद्धान्ततः यह बात गलत होगी कि वे एग्रीकल्चरिस्ट

[श्री वेदपाल त्यागी]

कहलावें । इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने संशोधन रखा है वे उस पर पुनः विचार करें और उसको स्वीकार करें।

श्री किशनलाल शाह—'एग्रीकल्चरिस्ट' की जो मूल परिभाषा है उसको कायम रखने के लिये और जो प्रस्तावित संशोधन हैं उनको अस्वीकार किये जाने के लिये जो कारण बताये गये हैं, जो दलीलें दीं गई हैं वे असंतोषजनक हैं और वे दलीलें और कारण इस बात की द्योतक हैं, इस बात को स्पष्ट प्रकट करती हैं, कि यह मानकर चला जाय कि यह किन्हीं सेक्शन्स के लिए हैं और एक समाज के तबके को गुलाम रखे जाने एवं मनमाने जोविकोपार्जन के लिए समाज के एक तबके को गुलाम रखे जाने के लिए निहायत जरूरी है । मैं, माननीय चेयमेन, यह निवेदन करूं कि विधान में सामाजिक न्याय कायम करने का जो आदेश है उसके विपरीत यह दलील पड़ती है । क्यों यह कहा जाता है कि नौकरों की आवश्यकता पड़ती है ? क्यों यह कहा जाता है कि सब टिनेन्ट्स की आवश्यकता पड़ती है ? क्यों यह कहा जाता है कि हमको अमुक अमुक व्यक्ति इस काम के लिये चाहिये ? यह सामाजिक न्याय नहीं, यह तो सामाजिक अन्याय है । और साथ ही जब मैं यह देखता हूँ कि जिनका जीवनोपार्जन, जिनका जीवन यापन मुख्यतया या सम्पूर्णतया जमीन पर ही अवलम्बित हैं, उनको वहां से हटाकर यह कहा जाय कि यह तो आवश्यक है । तो उधर तो उनके लिए कोई स्थिति निर्धारित नहीं की गई और आगे चल कर मिनिमम और मेक्सिमम देने की बात करते हैं और उसके बाद में सेक्शन ३७ आता है उसमें सिविल सर्वेन्ट्स को, अलग अलग, ठेकेदारों को और इजारेदार को भी । तो ये नबाब इस बिल के द्वारा क्यों पैदा किये गये हैं ? इस बिल के जरिये सरकार की मंशा यही है कि सरकार और जमीन के बीच में जो इन्टर-मिडियेरीज़ हैं उनको समाप्त नहीं किया जाय, सरकार की मंशा इन इन्टरमीडियेरीज़ को समाप्त करने की नहीं है बल्कि उनको और खुश करने की है और खास तौर पर मैं मानता हूं कि इसमें वह तबका भी शामिल है जो इस बात के पक्ष में हैं, चाहे वह खातेदार हो, चाहे वह ठेकेदार हो, चाहे वह इजारेदार हो, चाहे वह जागीरदार हो, चाहे वह एस्टेट होल्डर हो और सरकार में चाहे सरकारी नौकर हों, चाहे अफ़सर हों । जो वास्तव में किसान है वह इस तबके में नहीं हैं । वह दूसरों से काश्त कराने वाला किसान जिसमें अफ़सर वर्ग, शासक वर्ग आदि हैं और ये सब मिले-जुले भगत हैं जिसके कारण सरकार को नहीं मालूम पड़ता है । इसलिये साधारणतया यह कह दिया गया कि इस तरह इस बिल में रखा है मान लिया जाय । मैं नहीं मानने वाला हूं । हम यह कहते हैं कि यह बिल डिफेक्टिव है जो मूव किया गया है और यह मान लेने के बाद में जितनी बातें आती हैं उनके द्वारा खातेदार को रेस्ट्रिक्ट करना, जागीरदार को रेस्ट्रिक्ट करना और समाज के एक तबके को उठाना और दूसरे को गिराना, एक को खुला छोड़ना और दूसरे को बांधना यह कहां तक उचित है ? इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप इस चीज़ को देखें कि इसमें सिविल सर्वेन्ट्स की, की क्या आवश्यकता है ? क्या उनकी आवश्यकता को आप गवारा नहीं कर सकते ? उनको देने की क्या आवश्यकता पड़ी ? सहकारी भावना और सहयोग की भावना से क्यों नहीं विचारते ?

[श्री किशनलाल शाह]

क्या कोई खास मकसद है ? आप इस डेफिनिशन में उस चीज़ को क्यों नहीं रखना चाहते कि आपस में मिल कर स्पष्ट कर लें, तय कर लें। तो इससे यह स्पष्ट है कि एक सेक्शन को फायदा देना और एक सेक्शन को गुलाम बनाना। आप इधर उधर की दलीलें देकर यही करना चाह रहे हैं। आप इस पर फिर विचार करें। एग्रीकल्चर की डेफिनिशन जैसा कि श्री त्यागीजी ने कहा कि एक सिद्धान्त की चीज़ है, सिद्धान्त का मसला है कि कृषिकार कौन हो ?

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

इस प्रकार डेफिनेशन देना और दलील देना एक प्रकार से समाजिक अन्याय होगा। मैं फिर कहूंगा कि एक बार इस पर सोचें, फिर सोचें। चन्द व्यक्ति बैठ कर कुलडी में गुड़ फोड़ लें और सेक्शन्स कायम कर लें यह उन्चित नहीं। मैं फिर कहूंगा कि यह हमें मंजूर नहीं है और माननीय मन्त्रीजी इस पर विचार करें।

हम जानते हैं कि क्या होने वाला है ? जैसी परिभाषा है वैसी ही वह पास होगी। लेकिन फिर भी समय आयगा कि अल्पमत में होते हुए भी हम अपना अपना हिस्सा बतायेंगें और इस तरीके से दबाने का जो तरीका है उससे दूर होना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं भी इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री सभापति—आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है, I Cannot allow.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, मैं एक वाया मिडिया और सजेस्ट करना चाहता हूं।

एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को रिड्राफ्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले सजेस्ट किया 'सर्वेन्ट और टिनेन्ट' ये शब्द निकालने दिये जांय। किन्तु उसकी जगह अब 'by himself' ये शब्द निकाल दिये जांय तो यह इस प्रकार से पढ़ा जायगा :

" 'Agriculturist' shall mean a person who by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding."

इससे सब टंटे ही जाते रहेंगे। जो सिद्धान्त का मसला खड़ा होता है वह भी हल हो जाता है। अगर कोई सर्वेन्ट के जरिये भी कमाना चाहे तो भी कमा सकता है, बाई टिनेन्ट भी

Page No.39

[श्री वेदपाल त्यागी]

कर सकता है। ऐसी सूरत में एक बात जरूर हो जायगी कि जो व्यक्ति अपने पैसे के बल पर टिनेन्ट से या सर्वेन्ट्स से कमाना चाहेगा वह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहला सकेगा।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४) पर श्री चांदमल मेहता का जो अमेन्डमेन्ट है, वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट ड्रोप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इसी सब क्लॉज़ पर श्री किशनलाल शाह का जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट ड्रोप हो गया।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, मैंने जो सजेशन (suggestion) रखा है उस पर माननीय मंत्रीजी क्या विचार रखते हैं, वह सुनना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आपका सजेशन मूल संशोधन से बहुत ज्यादा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वकीलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि इसी सब क्लॉज़ पर श्री त्यागी का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री शर्मा का जो प्रस्ताव इस सब क्लॉज़ पर है वह स्वीकार किया जाय।

Page No.40

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

श्री शर्मा का संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४) विधेयक में, संशोधनानुसार, अंग रूप से जोड़ा जाय

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४) विधेयक में संशोधनानुसार अंग रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ४ (२२)

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब क्लॉज़ (२२) रह गया था on a Question of law.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, (२२) वां उप खण्ड 'लीगल चेकिंग' की वजह से पोस्टपोन कर दिया था । उसके बाद हमने लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट किया तो लॉ डिपार्टमेन्ट की मान्यता है कि जो डेफीनिशन रखी है वही उपयुक्त है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं । मूल में सब क्लॉज़ यह था :-

"'Jagir land' shall mean any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue or any other kind of revenue..." तो "any other kind of revenue" ये शब्द डिलीट करने की बात थी । वे शब्द रखने आवश्यक हैं । इसमें Quarry और forest वगैरह की जो रेवेन्यू है उसको भी इन्क्लूड किया जा सकता है । इस ख्याल से ये शब्द रखा जाना जरूरी है । इसलिये जैसा कि यह सब क्लॉज़ मूल रूप में है उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिये । इसमें लीगल कॉम्पलीकेशन किसी प्रकार की आने वाली नहीं है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जागीर रिज़म्पशन एक्ट में भी यही परिभाषा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, यह समझना बिल्कुल गलत होगा कि केवल इसमें कानूनी ऐतराज ही था । इसमें कानूनी एतराज तो था ही किन्तु कानूनी एतराज के साथ साथ बड़ा एतराज उसूलों का था । लॉ डिपार्टमेन्ट की इसमें राय हो गई, यह जो माननीय मंत्री द्वारा कहा गया, मैं तो कम से कम राजस्थान के लॉ डिपार्टमेन्ट की राय का कायल होने वाला नहीं ; क्योंकि जितनी धड़ाधड़ रिट्स हो रही हैं, जितने भी मामले ऊंचे नीचे होजाते हैं, यह हमारे राजस्थान के लॉ डिपार्टमेन्ट की योग्यता के परिचायक हैं । अगर कोई दूसरी ओथोरिटी कोट (quote) की जाती तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

फिर भी बात थी। किन्तु माननीय मंत्री तो केवल लॉ डिपार्टमेन्ट के कहने से इस नतीजे पर पहुँच गये कि यह धारा इसी प्रकार रहनी चाहिये। अब जागीरदारों को लेन्ड रेवेन्यू के भी राइट होने लगे हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि यहां जो जागीरी लेन्ड की परिभाषा हो रही है उस परिभाषा में इन शब्दों का समावेश न होने से क्या नुकसान होने वाला है ? माननीय चेयरमेन, मैं आपकी आज्ञा से फिर से इस सब क्लॉज़ को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें एक हिस्सा यह है कि, "It shall mean any land held on any of the tenures specified in Second Schedule." सेकिन्ड शिड्यूल में जो Tenures स्पेसिफाइड हैं उनके मातहत जो जो जमीन उनके पास होगी इस परिभाषा में इन्क्लूडेड है। अब इस पार्ट से वह कवर नहीं होगा, अर्लियर पार्ट में लेने का इरादा है "and who has rights in recpect of land revenue" जिस लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट करके यह चीज़ रखी गई है उस लॉ डिपार्टमेन्ट की एक भी आज तक की मिसाल बताइये, जागीरदार के निस्बत बताइये "who has rights in respect of land revenue." Technically and legally and in every sense of the word हकीकत यह है कि किसी को भी लेन्ड रेवेन्यू के राइट्स नहीं। अभी बताइये या आप लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट करके बताइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—'Revenue' means 'assigned land revenue' also.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) यह जो बताया गया गया है यह लॉ डिपार्टमेन्ट द्वारा जो इन्टरप्रिटेशन किया गया है वह है; किन्तु इससे यह साफ जाहिर होता है कि लॉ डिपार्टमेन्ट अब तक भी उलझन में गोते खा रहा है। रेवेन्यू का मतलब असाइन्ड रेवेन्यू गिना जाय, यह तो राइट नहीं जागीरदारों को। That is liability. राजस्थान सरकार ने यह जो रेवेन्यू बांधा इसलिये कि वह रेवेन्यू न होकर के उसको 'कन्सेशनल रेवेन्यू' नाम से कह सकते हैं। कन्सेशनल शब्द उपयुक्त मालूम नहीं हुआ इसलिये 'असाइन्ड रेवेन्यू', यह शब्द रख दिया गया। किन्तु यह अधिकार की बात नहीं 'लाएबिलिटी' की बात है। Jagirdar has liability to pay certain land revenue to the Government in the form of assigned land revenue...... लेकिन जागीरदार का राइट कैसे हुआ लैंड रेवेन्यू की निस्बत ? He has no right in respect of land revenue and he has no right also to collect land revenue as such. He can collect rent क्योंकि अगर आप जागीरदार का राइट लैन्ड रेवेन्यू का 'कन्सीड' करते हैं तो 'असाइन्ड लैण्ड रेवेन्यू' इल्लीगल हो जाती है।

स्टेट से जो 'लैण्ड रेवेन्यू' के बूते पर जमीन लेता है वह चाहे जागीरदार हो, बिस्वेदार हो जमीनदार हो, इस्तमुरारदार हो, चाहे किसी भी किस्म का एस्टेट होल्डर या लैण्ड लॉर्ड हो, वह गवर्नमेन्ट को रेवेन्यू देता है लेकिन इन रिटर्न उसको राइट मिलता है क्लेक्शन का। यह है आज तक चली आने वाली प्रथा। इसको तोड़ कर लैंड रेवेन्यू का अधिकार उनको दे देना, इसका मतलब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो यह हुआ कि अगर इस परिभाषा के मुताबिक चलें तो फिर कस्टम, दारू और क्या क्या जो जो रेवेन्यू के दूसरे सीगे हैं उनमें 'शेअर' हम क्रीएट कर रहे हैं ।

मेरी समझ में नहीं आया कि किस बिना पर लॉ डिपार्टमेंट ने इसकी यह परिभाषा की है ? मैं आज आपको साफ साफ कहता हूँ कि आपकी यह परिभाषा चलने वाली नहीं है, इससे आपको बदलना पड़ेगा । अगर आप अभी नहीं बदलेंगे तो आपकी हाईकोर्ट में मजाक उड़ाई जावेगी, और तब बदलने के बजाय आज ही अभी आप बदल लें तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री महोदय से कि अगर माननीय मंत्री महोदय इसको अभी तक नहीं समझ सके हों तो इस तरफ बैठने वाले सदस्यों को जो इस मामले को ज्यादा समझते हैं अपने पास बिठाकर उनकी राय ले लें ।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि इस बात को उन्हें नहीं करना चाहिये । और इसलिये मैं मेरे संशोधन पर मत लेने का प्रस्ताव सदन से करूंगा ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (२२) के ऊपर श्री हरिकृष्ण व्यास का जो अमेन्डमेंट है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेंट ड्रॉफ हो गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (२२) विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (२२) विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ४ (२०)

(विराम)

अब है २० (ए), इस्तमरारदार का क्लॉज़ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें दो अमेंडमेंट्स हैं । एक तो 'means' के बजाय 'shall mean' कर देने का । इसको मानने में मुझे ऐतराज नहीं ।

Page No.43

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दूसरा "Estate holder' के बजाय 'Jagirdar' कर दिया जाय।

इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने में मुझे ऐतराज नहीं है। I agree to both of these amendments.

श्री सभापति (श्री राज हिम्मतसिंह)— दोनों अमेंडमेंट्स आप मंजूर कर रहे हैं। क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ २० ए इस्तमरारदार की परिभाषा के बाबत दो अमेंडमेंट्स हैं। एक है श्री बृजसुन्दर शर्मा का और दूसरा है श्री चांदमल मेहता का। बृजसुन्दर शर्मा का अमेन्टमेंट है कि 'estate holder' के बजाय 'Jagirdar' शब्द को सब्स्टीच्यूट कर दिया जाय? क्या सदन को स्वीकार है।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

और श्री चांदमल मेहता का अमेन्डमेन्ट यह है कि 'mean' के बजाय 'shall mean' कर दिया जाय। मंत्री महोदय ने इसको भी accept किया है। क्या यह सदन को स्वीकार है?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (२०), संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ २० (ए), संशोधनानुसार स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ (२५)

अब क्लॉज़ ४ का उप क्लॉज़ २५ लिया जाता है,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, सबसे ज्यादा वाद-विवाद इस उपधारा पर सदन के अन्दर हुआ होगा।

ज्यादातर इस बात पर एतराज किया गया था कि जो यह शब्द हैं इसमें कि "by servants on wages payable in cash or in kind but not by way of a share in crops or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family or one's manager or agent...."

इसमें कुछ महानुभावों का विरोध खास तौर से मैनेजर और एजेन्ट शब्द पर था और कुछ विरोध इस सारे ही सब क्लॉज को हटा देने के बारे में था।

सदन में कई बार 'टिलर आफ दी सोइल' के बारे में बात कही जाती है और इस प्रकार से बात कही जाती है कि जैसे सदन इस उसूल को न मानकर सरवेन्ट के जरिये खेती करने की बात को भी स्वीकार करके गलती कर रही हो। लेकिन माननीय चैयरमेन महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सर्वेन्टस के जरिये जहां तक खेती कराने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हमें कई बातों पर विचार करना होगा। आज तक हिन्दुस्तान भर के अन्दर कहीं पर भी सर्वेन्ट को किसी प्रकार के राइट्स दिये गये हों, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। सर्वेन्ट के जरिये खेती कराने की बाबत, चाहे वह कांग्रेस का रिज़ोलूशन हो चाहे दूसरा हो, कहीं पर भी इन्कार नहीं किया गया। कांग्रेस के रिज़ोलूशन में पट्टेदारी शब्द कहा गया है कि उनको परमानेन्ट राइट्स दिये जाने चाहिये पर सर्वेन्ट्स को कहीं खातेदारी के या और प्रकार के राइट्स देने की कल्पना भी नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि जब यह कहा जावे कि इस रिज़ोलूशन के खिलाफ बात इसमें की जा रही है तो मैं स्वयं इस तरह की बात नहीं मानता।

आज जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसमें से भी अगर हम यह मान लें और तीसरे क्लॉज़ को हटा दें तो माननीय चेयरमेन, मैं यह पूछता हूं उन साहबानों से कि फिर वह जमीन किसके पास जावेगी? कौन उसका हकदार होगा? या तो वह 'लैण्ड होल्डर' के पास जावे या 'खुदकाश्त' वाले के पास। सर्वेन्टस के पास जा नहीं सकती। इस डेफीनेशन का प्रयोग खुदकाश्त के सम्बन्ध में होता है कि वह पर्सनली कल्टीवेटेड हो उसको खुदकाश्त समझा जावे।

अब जागीर के एरिया में जो जमीन है और उस व्याख्या में जो जमीन आती है उसे हम खुदकाश्त में स्वीकार करते हैं। अगर इस व्याख्या को न मानें तो जागीर कैसे रिवर्ट होगी? सरवेन्ट को तो जावेगी नहीं। उसे खातेदारी राइट्स देने की बात की कल्पना करके हम नहीं चलते। तो फिर मैनेजर के जरिये से खेती करवाई जा रही है वह रिवर्ट किसको होगी?

जैसा मैंने कहा है कि जहां सब टीनेन्ट है वहां उसको तो राइट दे दिया जावे पर जहां सर्वेन्ट है वहां किसको दिया जावे? सर्वेन्टस को तो यह राइट देने की कल्पना इस बिल में नहीं है और मैं ऐसा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समझता हूँ कि अगर हम देश के उत्पादन की और कृषि की सारी व्यवस्था को सामने रखकर चलें तो मैं समझता हूँ कि अगर यह कानून बना दिया जावे कि जो भी काश्त नौकर करते हैं वह उन सब को दे दी जावेगी, वह जमीन उनमें बांट दी जावेगी तो सारी व्यवस्था के अन्दर गड़बड़ी होगी और देश के उत्पादन में भी बहुत बड़ा असर होगा। यह तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक सिस्टेमेटिक तरीके से जैसा हम करना चाहते हैं वह कर दें। मैं यह भी साफ कर दूं कि आप जमीनें दें, भूमिहीन किसानों को जमीनें दें, उस पर भी उन्हें बसावें, इसमें इन्कारी की कोई बात नहीं है और इस दृष्टि से हम चलेंगे कि हम भूमिहीन किसानों को फिक्स करना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। पर सर्वेन्ट के बारे में यह हो सकता है कि आज एक जमीन पर एक आदमी हैं कल दूसरा है, वह कितने साल से है, कितने अर्से से है, ऐसी कोई निश्चितता तो नहीं है, तो ऐसी सूरत में यह जो डेफीनेशन रक्खी गई है और इस बात को स्वीकार किया गया है, इसका कारण यह है कि वह उस जमीन पर जो इस केटेगरी में आती है, कोई यह समझकर नहीं चलता कि यह जमीन मेरी है क्योंकि आखिर मैनेजर शब्द या एजेन्ट शब्द जो भी काम में लिया गया है, वह मैनेजर या एजेन्ट किसी की भी जमीन का है, जिसकी कि जानकारी के अनुसार उस नौकर से काश्त करवाई जा रही है, पर चूंकि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि सब टीनेन्ट के जरिये काश्त करवाई है इसलिए उसको दे दिया जावे, बल्कि इसमें तो यह कहा गया है कि पर्सनली कल्टीवेटेड उसको समझा जावे जिस पर नौकर के जरिये, हायर्ड लेबरर के जरिये, खुद के जरिये, फेमिली मैनेजर के जरिये या एजेन्ट के जरिये या मैनेजर के जरिये जो काश्त करता है। तो उस जमीन का किसी भी हालत में, जो हमने इस कानून के अन्दर व्यवस्था की है उसके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को रिवर्शन नहीं होता है, और रिवर्ट होने का प्रश्न आता है तो आज की स्थिति में जागीरदारों को रिवर्ट होगी, तो जागीदारों को रिवर्ट होने का कोई मतलब नहीं होता है। इन सारे प्रश्नों पर काफी सोच विचार के बाद में यह व्यवस्था की गई है कि जो खेती करता है, जिसने उस जमीन को तैयार किया है, जिसनें दूसरों का अधिकार नहीं बन पाया है उस जमीन को पर्सनली कल्टीवेटेड मानलें। मैं इस व्याख्या के बारे में ऐसा मानता हूं कि जो व्याख्या यहां पर दी गई है उस व्याख्या को ज्यों का त्यों रखना उपयुक्त होगा। उसके अन्दर रद्दोबदल करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है जिससे हम यह समझें कि कोई परिवर्तन हो जायगा। बल्कि उस व्याख्या से मूल रूप में जो कारण मैंने आपको बताये हैं उन कारणों की पूर्ति होती है, और इसी वजह से इस व्याख्या को यहां पर रखा गया है। सदन में वाद-विवाद होने के बाद में, माननीय चेयरमेन, मैंने इस पर काफी विचार किया और विचार करने के बाद में भी मैं इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि इस व्याख्या को स्वीकार करने में किसी के भी अधिकार पर असर नहीं पड़ता है।

दूसरा यह कि इस व्याख्या को केवल वहीं पर कायम किया है जहां खुदकाश्त के निर्णय करने के समय जो पहले से एक जमीन इस व्यवस्था में चली आ रही है उस जमीन में

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं मानता हूँ कि आगे के बारे में हम नहीं कह सकते कि पर्सनली कल्टीवेटेडे शब्द कहीं प्रयोग में आयेगा और इस प्रकार की आपत्ति होती रहेगी तो इस प्रकार से स्वीकार किया जायगा। केवलमात्र इसका प्रयोग वहीं पर होता है जहां खुदकाश्त के बारे में इस प्रकार जमीन को हम मानते हैं। वह जमीन वैसे भी किसी के राइटस के अन्दर नहीं आती है। इस व्याख्या को स्वीकार करने से न उस समय जमीन के जोतने वाले, मैं मानता हूँ कि असली जोतने वाले का मतलब जो जमीन पर महनत करता है, जो बराबर काश्त करता चला आ रहा है, उसके हक को मानता हूँ, जो कि बैल खुद अपने रखता है, बीज खुद डालता है, हल अपने रखता है, उसके अधिकारों की बात तो ठीक है। तो सर्वेन्टस को इसके अन्दर लेते हैं तो ये सारी चीजें उनके पास नहीं होती हैं। उनके जमीन पर दूसरों के अधिकार मानने का प्रश्न आता है। मैं समझता हुँ कि इसको स्वीकार करने के अन्दर मुझे तो कहीं ऐसा नहीं मालूम हुवा है कि दूसरों के अधिकारों पर कुटाराघात करने की बात आई हो। आवश्यकता से अधिक जमीनके बंटबारे की बात कि दूसरें सरवेंन्टस होंगे उनमें बांट दें, तो उसके बांटने में सीलिंग के लिए एक कमेटी इसीलिए मुकर्रर की कि ज्यादा जमीन हो दूसरों के पास तो उसके जमीन को लेकर दूसर को दी जाय और किसी के पास ज्यादा जमीन न रहे। वह एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं जब कि किसी के पास ज्यादा ज़मीन हो। जमीन को कम कर देने की बात मूल रूप में स्वीकार करता हूँ। तो खुद को खेती करनी पडेगी, तो यह चीज है कि सीलिंग फिक्स्ड हो जानी चाहिए। उसके बाद में कोई आदमी बहुत ज्यादा काम करके अपनी जीविका का पूरा निर्वाह कर सकता हैं। कानून के डर से कहीं ऐसा न हो कि उस जमीन के ऊपर जो आज खेती होती है या की जा रही है जिसके जरिये प्रोडक्शन देश में हो रहा है, उन चीजों को खत्म कर दें, और आगे के लिए कोई निश्चित कल्पना नहीं हो तो एक गडबड़ सारी की सारी चीजों में हो जायगी। इन चीजों को लक्ष्य में रखते हुए इस डेफिनिशिन को स्वीकार किया गया है।

तो ऐसी सूरत में एक शब्द 'मेनेजर' को हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल में पहले तो यह आया है कि एक सर्वेन्ट के जरिये हम खेती कराने के सिद्धान्त को मानते हैं तो उस सिद्धान्त को मानने के बाद एक शब्द हटा दें, मेनेजर या ऐजेन्ट नहीं रखें और सवेन्ट रखें तो मैं निवेदन करूंगा कि मेनेजर शब्द एक ज्यादा ऑनर के रूप में है। वह भी सर्वेन्ट है जिसके जरिये हम काम ले रहे हैं। इन शब्दों के फेर में पड़कर मूल भावना को नहीं ले पा रहे हैं। अतः जो क्लॉज़ यहां दिया गया है उसे मूल रूप में स्वीकार करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक मिनिट। इस सम्बन्ध में एजुकेशनल इन्स्टीट्युशन के सम्बन्ध में माननीय श्री वेदपाल त्यागी ने जो एक एमेंडमेंट मूव किया था वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि इसमें दिया गया है "eduational institution recognised by the State Government के बजाय "recognised educational institution" वाला शब्द है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह करेक्शन तो हो हो गया "but not by way of a share in crops" का क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That I have told, it is a misprint, it must be retained.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, माननीय चेयरमेन, कि इस सबक्लॉज़ में जो बहस हो रही है उसका स्तर उसूल के बिना पर चल रहा है। खेती की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में उधर बैठने वाले माननीय मित्र का यह कहना है कि नौकर रखे बगैर हम खेती के काम की तरक्की, उन्नति और अधिक उत्पादन की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। नौकर रखने की गुंजाइश मौजूदा समाज व्यवस्था में रखनी ही पड़ेगी। Have I understood it right !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—On a point of clarification, Sir, मैंने यह नहीं कहा कि नौकर रखना समाज की व्यवस्था के लिये आवश्यक है। आगे जाकर जब सीलिंग फिक्स होगी इसलिए नौकर रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि असंभव हो जायगा और स्वयं को खेती करनी पड़ेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने यह शब्द जरूर सुने थे कि उत्पादन की दृष्टि से अव्यवस्था हो जायगी, आर्थिक उन्नति के लिए मार्ग बन्द हो जायगा, लेकिन, खैर, जो कुछ भी कहा। नौकर के जरिये खेती करवाने के सिलसिले में कोई उलझन पैदा नहीं हो, इस अर्थ में इस परिभाषा में वह परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं हैं; बल्कि उन्होंने अन्त में कहा कि 'मैनेजर' शब्द यहां तक कि 'एजेन्ट' शब्द, यहां तक कि लोग नौकर के जरिये, फॉर्म लेबर के जरिये, खेती करवाने के उसूल की बात मानते हैं तो बाकी के शब्द हटाने से कोई फायदा या नुक्सान नहीं होने वाला है। इस प्रकार की दलील देते समय वह शायद यह भूल गये थे कि एक नया उसूल भी हो सकता है और वह नया असूल यह कि नौकर रखने पर पाबन्दी तो नहीं लगाई जाय, लेकिन यह शर्त डाल दी जाय कि नौकर की मदद से काम वह आवश्यक हो तो करा ले। एक्स्क्लूज़िवली, केवलमात्र नौकरों के जरिये न कराये। फर्क है यहां। फर्क यह है कि फार्म लेबर का इस्तेमाल किया जाय या नहीं किया जाय ? सही बात हैं कि कई बार आवश्यकता के समय कई काश्तकारों को फॉर्म लेबर लगाने पड़ते हैं, उनकी मदद से काम करवाना पड़ता है। इसमें आज उधर बैठने वाले और हम लोग जिन्होंने संशोधन पेश किया था उनमें डिफरेंसेज़ इस बात में नहीं हैं कि फार्म लेबर को काम में लगाने की गुन्जाइश रखी जाय या नहीं रखी जाय ? फर्क यहां आता है केवलमात्र (एलोन) फॉर्म लेबर के जरिये खेती करवाने वाले को 'लेन्ड पर्सनली कल्टीवेटेड' का अधिकार दिया जाय। यह जरूर उसमें जोड़ा जाय कि दूसरों की मदद से, नौकर रखकर खेती करवाने का सिस्टम हो जाने से, खुद भी ऐसेन्शियल लेबर देना पड़ेगा एग्रिकल्चरल आपरेशन के लिए।....

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है, माननीय चेअरमेन, वह यह रखा है कि इसमें एक प्रोविज़ो बढ़ा दिया जाय जो इस प्रकार है ।

"Provided that he contributes essential human labour in the agricultural operations.' कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है, कलेक्टर बना हुआ है, ८००), ९००) या १०००) रु० की तनख्वाह पाता है, वह जब एग्रीकल्चरिस्ट की तारीफ में आयगा और फार्म रखेगा तो उसके लिये फॉर्म सर्वेन्ट्स रखेगा, मैनेजर रखेगा और खेती करवायेगा और जो परिभाषा रखी जा रही है उसके अनुसार 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' में आयेगा। दिल्ली में कोई मिल का मालिक है उसकी अगर जमीन यहां है तो वह मजदूरों के जरिये खेती करवायेगा और वह कहेगा मेरी तो जमीन 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मौजूदा मंत्री और भूतपूर्व मंत्री और इस सदन के विशेष विशेष मित्र जो हैं उन्होंने भी एक दौड़ शुरू की है। अभी इस मौजूदा २-४ साल की दौड़ में कोई ५०० बीघा, कोई ७०० बीघा जमीन ले रहा है और अपने एरोड्रोम के रास्ते में तो इस सदन के अध्यक्ष भी नहीं चूके हैं जमीन लेने में। खेती की जमीन की दौड़ में इन लोगों को भय मालूम होता है कि कहीं एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' में से हम निकल न जांय। ऐसे भय की आवश्यकता नहीं है। कुछ असलियत को लेकर लेबर में कॉन्ट्रीब्युट करने की आवश्यकता है। कुछ मेरे मित्र हैं जिन्होंने जिक्र किया कि यह तो खुदकाश्त के सिलसिले में हम इस्तेमाल में लायेंगे। ठीक है, खुदकाश्त के नाम से कौन कौन सी जमीन दर्ज की जायगी जो लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली में आती हो? कल्टीवेटेड पर्सनली कौनसी है? यानि उन जमीनों पर मजदूर रखकर एजेन्ट के जरिये अपनी खेती करवा लेंगे। मैं कहता हूँ, सारे राजस्थान की जमीन इस तरह से निकल जायगी। राजस्थान के एस्टेट होल्डर जो जागीरदार हैं उनका जो चारा चल जाय तो 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' की परिभाषा में लाकर बतादें। यदि परिभाषा रखनी है तो यह कैसे होगा कि जो हक देना है उसके मुताबिक परिभाषा नहीं बनाना है और जो हमने तय किया है उसी के मुताबिक परिभाषा बनाना है? दूसरी रियायतें दी हैं उनके मुताबिक परिभाषा बने, अगर यह दृष्टिकोण है तो मैं कहूँगा कि पुराने जमाने में एक राजा था जिसने किसी को फांसी की सजा दी और फांसी के लिये जो फंदा बनाया गया वह मोटा बन गया और जिसको फांसी की सजा दी उसके गले में ढोला पड़ा तो हुक्म दिया कि इसके बराबर मोटे आदमी को पकड़ लाओ जिसके गले में यह फंदा ठीक बैठता हो। यदि यही परिभाषा का दृष्टिकोण है तो मैं कहूँगा कि आप परिभाषा के नाम पर हजारों बीघा जमीन जबर्दस्ती देने का रास्ता खोल रहे हैं और बगैर काश्त करने वाले एबसेन्टी कल्टीवेटर्स, जिनका पेशा खेती करना नहीं है, उनके पास हजारों बीघा जमीन जाने का जरिया बना रहे हैं। जो २००-३०० मन अनाज का मुनाफा कमाना चाहते हैं ऐसे लोगों के पास जमीन ली जायगी। उन लोगों के पास जो व्यापार करते हैं, खेती नहीं करते हैं हजारों बीघा जमीन रहेगी जो केवल नफा कमाना चाहते हैं और जिनकी आजीविका खेती पर नहीं है ऐसे लोग भी 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' की परिभाषा में आ जायेंगे। ऐसे लोगों ने जिन्होंने खेती छोड़ कर हल चलाने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की गुंजायश नहीं रखी है, जिन्होंने कभी ट्रेक्टर नहीं चलाया है और जिन्होंने महज़ जमीन को अच्छी पैदावार का जरिया बनाया है, जैसे केपिटलिस्ट लोग मिल या और कारखाना बनाते हैं और वह भी राजस्थान सरकार से पैसा लेकर, वैसे ही बड़े बड़े लोगों ने खेती करना शुरू किया है। उन्होंने खेती को 'मेटर ऑफ' आजीविका नहीं बनाया है, 'एज ए मेटर ओफ बिजनेस' या मुनाफा उठाने के लिये यह धंधा शुरू किया है। जो लोग मुनाफा कमाने की नीयत से आये हैं उनको आप लैंड होल्डर भले ही मानलें, एस्टेट होल्डर मानलें, या और कुछ मानलें लेकिन 'लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली' की परिभाषा में नहीं माने जा सकते। मैनेजर को हटाने से फायदा नहीं होगा, एजेन्ट को हटाने से उतना फायदा नहीं होगा लेकिन मेरे अमेंडमेंट से एक बुनियादी तब्दिली होगी और वह यह होगी कि जो केवल फॉर्म लेबरर बता कर बगैर मेहनत किये हुए, खेती जिनकी आजीविका नहीं है, और जिनका ताल्लुक केवल पैसा या मुनाफा या आमदनी कमाना है उस आदमी को लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली की परिभाषा में मत मानें और मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह साइन्टिफिक है और सब के हित का है इसलिये इसे स्वीकार किया जाय। अगर मंत्री महोदय इस पर किसी से सलाह मशविरा करना चाहें तो इसके लिये समय मांग लें, पंतजी वगैरह आड़े आते हों तो उनसे भी पूछ लें। उधर बैठने वाले मित्रों से कहूँगा कि टाइम का फायदा उठावें। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न पर 'व्हिप इश्यू' नहीं करेंगे और फ्री वोटिंग कराया जाय और जिधर सदस्यों का रुख हो उधर ही फैसला किया जाय। यही कह कर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं फिर जवाब दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप जवाब दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये डिबेट करेंगे तो मुझे भी मौका मिलना चाहिये। वैसे तो राइट ऑफ रिप्लाई के बाद निर्णय ही होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं तो सिर्फ एक पॉइन्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं यह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार कल्टीवेशन करते होंगे उनको खातेदारी राइट होगा। ऐसा कहीं भी नहीं है जो इस प्रकार काश्त करता होगा, खातेदार नहीं बन सकता हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' बन जायगा।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ में श्री एच. के. व्यास के प्रथम संशोधन कि "Retain the words 'but not by way of a share in the crops'" के लिये तो यह कहना है

[श्री सभापति]

कि यह जो मिसप्रिन्ट है इसलिये इस पर मत लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए श्री व्यास के दूसरा संशोधन पर मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(मतदान के पश्चात् अस्वीकृत होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता।

श्री सभापति—मैं दुबारा पूछ लेता हूँ। श्री एच. के. व्यास के क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (२५) पर जो दूसरा अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट ड्रोप हो गया।

(विराम)

श्री मोतीलाल चौधरी का अमेंडमेंट है क्लॉज़ ४, सब क्लॉज़ (२५) पर। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां और ना दोनों ही नदारद हैं। The House is strictly neutral.

श्री सभापति—यह अमेन्डमेन्ट ड्रोप हो गया। The amendment is dropped.

(विराम)

श्री सभापति—श्री वेदपाल त्यागी का इस सब क्लॉज़ पर अमेंडमेंट है...

श्री वेदपाल त्यागी—I may be permitted to withdraw it.

श्री सभापति—क्या हाउस की सम्मति है कि इनको अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई।

श्री वेदपाल त्यागी—I withdraw it.

श्री सभापति—क्लॉज़ ४, सब क्लॉज़ (२५) पर मत लिये जाते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं भी अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री त्यागी अपना संशोधन विद्ड्रा करें।

(स्वीकृत)

विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बृजसुन्दरजी ने अभी क्या विद्ड्रा किया, साहब ?

(हंसी)

श्री सभापति—उनका अमेंडमेंट है प्रोविजों के बारे में ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(२५) के प्रोविजो के बारे में ।

खण्ड ४ (२७ ए)

श्री सभापति—Sub-clause (27A) of clause 4. Shri Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ २७ (ए) जो पाश्चर लैंड को डिफाइन करती है उसमें, मौजूदा कानून में, डेफिनिशन दी हुई है वह इस प्रकार है : " 'PASTURE LAND' means an area reserved in accordance with Rules framed by Government from time to time for the grazing of cattle of a village or villages situated near such area."

यह जो मौजूदा क्लॉज़ है उसमें 'पाश्चर लैन्ड' की डेफिनिशन यह दी हुई है कि सरकार किसी गांव के पास में या कई गांवों के पास में जिस जमीन को चरागाह बनाना चाहे, उसके बारे में पहले रूल्स बना लेगी और बाद में उनको गोचर भूमि करार देने का सरकार को हक होगा । इसके बारे में मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है : " 'PASTURE LAND' shall mean land meant for the grazing of the cattle of a village or villages used or recorded in settlement records as such at the commencement of this Act or thereafter reserved as such in accordance with rules framed by the State Government."

मैंने जो मेरा संशोधन पेश किया है उसका मतलब यह है कि अभी भी कई जगह गोचर भूमि मौजूद है और सेलटमेंट में दर्ज की हुई है और बहुत पहले से दर्ज चली आ रही हैं। जब हम यह कानून पास कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी (मौजूदा) गौ चर भूमियां हैं, जहां गायें चरती हैं नाड़ियों

[श्री नाथूराम मिर्धा]

की भूमि में या और और तरह की भूमियों में, तो उन्हें, इस कानून में रूल्स फ्रेम करने के बाद में, रिकोग्नाइज करेंगे। इस चीज से बचाने के लिये मैं इस अमेन्टमेन्ट के जरिये चाहता हूँ कि अभी जो जमीन है, गौचर भूमि है, उनको रिकोग्नाइज कर लिया जावे। इसके बाद भी जहां गौचर भूमि की कमी पड़ती हो, गौचर के लिये वहां और और भूमि दी जा सकती हो, जो रूल्स बनाये जा सकते हों, उनको तो सरकार फिर करे, पर जो मौजूद हैं उनको रिकोग्नाइज करे। वह इस डेफिनेशन को इस तरह करने से होगा। इस तरह मेरा यह संशोधन वाजिब है और मैं सदन से आशा करता हूँ कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, अभी जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट मूव किया उसमें कोई किसी तरह का एतराज तो किसी को हो नहीं सकता, बहुत हद तक मतलब भी सिद्ध हो जायगा, फिर भी मुझे अन्देशा है कि इसमें गलतफहमी और झगड़े का अन्देशा पेश आ सकता है; इसलिये दो-तीन शब्द छोटे से, अमेंडमेंट के रूप में मैं पेश कर देना चाहता हूँ :
"'Pasture land' shall mean land meant for the grazing of the cattle of a village or villages used according to usage or custom......"

एकोर्डिंग टू कस्टम्स एन्ड यूसेज़ (according to usage or custon) यह ऐसा add करना चाहता हूं। इस तरह से जो पाश्चर लेंड होगा वह सेटलमेंट में रिकार्ड हो जायगा और फिर गरीबों को तकलीफ नही होगी और आयन्दा झगड़े-फिसाद होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो मेरा संशोधन यह है कि 'ग्रेजिंग लेंड एकोर्डिंग टू कस्टम्स एण्ड यूसेज' के माफिक छोड़ी जानी चाहिये। 'यूसेज़' के बाद में 'एकोर्डिंग टू कस्टम्स एण्ड यूसेज़' जोड़ दिया जाय तो यह और साफ हो जायगा। इसमें कोई तरह का झगड़ा, गलतफहमी, या फसाद उठाये; इसके लिये 'एकोर्डिंग टू कस्टम्स एन्ड यूसेज' लेना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक थोडा सा अमेंडमेंड मैं भी मूव करूंगा जो यह है कि 'ग्रेजिग' शब्द के बाद में 'Without any payment' जोड दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—इसमें पेमेंट लगता थोड़े ही है, कुछ मालूम भी है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लैन्ड रेवेन्यु भी पे नहीं करनी चाहिये।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठेके दिये जाते हैं। मैं एक-दो शब्द जोडने के लिये संशोधन रखता हूं। इस संशोधन को आप गौर से पढ़ जाइये :

"'PASTURE LAND' shall mean land..." इसमें 'reserved' हटगया "In accordance with Rules framed by Government from time to time for the grazing without

Page No.53

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

any payment of cattle of a village or villages used or recorded as such." इस प्रकार है ।

अब कई कई इलाकों में यह हुआ है माननीय चेअरमेन, शायद मेरे माननीय मित्र जानते हैं, ग्रेज़िंग ग्राइनड्स को गवर्नमेंट ठेकों पर दे देती है, और ग्रेज़िंग फीस वसूल करती है । तो आज की मौजूदा स्थिति को अगर रेगुलराइज़ करना चाहते हैं और अगर इस स्थिति को मान्य करके चलना चाहते हैं तो, तो कोई बात नहीं, और अगर उसूल मानते हैं कि हर गांव में ग्रेज़िंग ग्राउन्ड्स होने चाहिए और इसके लिये रिज़र्वेशन की गुंजाइश चाहते हैं तो आपको यह संशोधन स्वीकार करना होगा । मारवाड़ में, जोधपुर डिविजन में, जोधपुर जिले में और पाली जिले में ग्रेज़िंग ग्राउन्ड्स की ग्रेज़िंग फीस ली जाती है । इस प्रथा को आप अगर खत्म करना चाहते हैं तब तो 'Without any payment' ये शब्द जोड़ दें । जिस तरह पानी और हवा उपलब्ध होती हैं उसी तरह यह भी उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री भैरों सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेअरमेन, श्री नाथूरामजी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें मेरा थोडा सा संशोधन है । उनके संशोधन में है :

"'PASTURE Land' shall mean land meant for the grazing of the cattle of a village or villages used or recordod..."

मेरा इसमें संशोधन यह है कि 'used' को हटा कर..."Reserved for the grazing of the cattle of a village or villages" कर दिया जाय । 'meant' और 'used' इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो इसमें भ्रम होता है । तो मेरा संशोधन जोड़ देने से यह इस प्रकार हो जयगा :

" 'PATURE LAND' shall mean land reserved for the grazing of the eattle of a village or villages or recorded in settlement records..."

और मैं समझता हूं कि यह एक स्पष्ट व्याख्या होगी । अतः मैं माननीय नाथूरामजी से निवेदन करूंगा कि वे इसे मंजूर कर लें ।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेअरमेन, श्री भैरूसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है और उसमें जो शब्द यूज़ किये हैं वे इतने वेग हैं कि वे बहुत एम्बीग्वीटी क्रीएट करेंगे । पाश्चर लेंड की तीन परिस्थितियां हो सकती हैं :

(१) वह जगह सेटलमेंट हो चुका हो और जमीन रेकर्ड की गई हो,

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(२) वह जहां सेटलमेंट हो गया और रेकर्ड नहीं हुआ हो।

(३) यह कि जहां सेटलमेंट नहीं हुआ हो।

ऐसी स्थिति में जहां रेकर्ड पाश्चर लेंड का नहीं किया गया हो वहां पर तो पाश्चर लेंड नहीं रह सकती। गांवों में जितनी भी कल्टीवेटेड लेंड वेस्ट होती है वह मवेशी चराने के काम आती है और वहां मवेशी चरते हैं। किसानों के पास मवेशी रहते हैं। इसलिये उनके मवेशी चरते हैं। और सब जगह करीब करीब जमीनें मवेशियों के चराने के लिये होती हैं। वे जाकर कह देंगे कि यहां पर यह पाश्चर लेंड यूज की जा रही है इसलिये इसको खातेदारी हक नही मिलने चाहिये। इसके लिये जो सुझाव पेश किया है उसको मैं ...... (अश्रव्य)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमैन, श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही जरूरी है। इस संशोधन के बगैर आज जो लेन्ड रिजर्व गांवों में रखी है सारी की सारी कोई चाहे तो खेती में ले ले, तो उसमें कोई रूकावट नहीं होगी। इसलिये यह कमी इसमें रह गई थी। जो इससे (संशोधन से) पूरी हो जाती है, यह निहायत जरूरी है। और जो पाश्चर लेंड इस वक्त इस्तेमाल हो रही है वह रहेगी और जो आगे गवर्नमेंट रूल्स बनावेगी उसकी तहत में जो जमीन आवेगी वह रहेगी। इसलिये इसमें मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन पेश किया है कि "without payment" की जो जमीन हो वह पाश्चर लेंड मानी जावे, ठीक नहीं है। आम तौर से पेमेन्ट होता रहेगा और वह पाश्चर लेंड नहीं मानी जावेगी। आज मैं समझता हूं कि जमीन पाश्चर लेंड के लिये पेमेन्ट या विदआउट पेमेन्ट काम में ली जा रही हो वह रहेगी और इस विदआउट पेमेन्ट की यहां कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि श्री नाथूरामजी मिर्धा के एमेंन्डमेंट को अवश्य स्वीकार किया जावे। मैं माननीय मंत्री से भी यही निवेदन करूंगा कि इसको मंजूर करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमैन, श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन पेश किया है और 'meant' के बजाय "reserved" शब्द होने की बात कही है, मेरा निवेदन यह है कि "used" ज्यादा अच्छा रहेगा। यह तरमीम इस तरह से रीड करेंगे।

" 'PASTURE LAND' shall mean land used"

'meant' की जगह 'used' यह हो जावेगा। "used for the grazing of the cattle of a village or villages or recorded in..."

ये मेन्ट (meant) के बजाय यूज़ड होना चाहिये और नीचे जो "used" शब्द रखा है वह हटा दिया जाना चाहिये। नीचे 'reserve' शब्द आ गया है, इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं।

Page No.55

श्री भैरू सिंह—नीचे ' reservd ' शब्द आ गया है। इससे मेरा पर्पज सर्व हो जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, मैं ऐसा समझता हूं कि जो एमेंडमेंट पास्चर लैंड के बारे में आये है और श्री नाथूराम मिर्धा का एमेंडमेंट आया है कि use शब्द कर दिया जावे तो ठीक होगा। उसके बाद दूसरा यह एमेंडमेंट आया " 'PASTURE LAND' shall mean land mant for the grazing of the cattle...

'USED' is all right.

"...of a village or villages used or recorded in settlement records as such at the commencement of this Act or thereafter reserved" तो हमारे सिरोंज से आने वाले माननीय मित्र ने एतराज किया। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कहीं पर ज्यादा पाश्चर लेन्ड है और कहीं पर कम और बाद में पाश्चर रूल्स जो गवर्नमेंट बनाएगी उसके अनुसार जहां पर कम है वहां पर दी जा सकती है। रिज़र्व तो कहीं कहीं होगी। सब जगह तो रिजर्व होगी नहीं। "used" तो सब जगह मिलेगी। इसलिये रिज़र्व में मैं समझता हूं कि काफी दिक्कत पैदा होगी और मैं समझता हूं कि इसी रूप में डेफिनिशन को मंजूर करना ज्यादा अच्छा होगा। अब जहां पर पेमेन्ट नहीं लिया जावे, उसको पाश्चर लैंड माना जावे इसके लिये मैं यह कहूंगा कि जहां पर पेमेन्ट लिया जाता है उसको पाश्चर लैंड मानें या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पेमेन्ट बन्द करके उनको पाश्चर लैंड बनाया जावे।

श्री मोहनलाम सुखाड़िया—वह यह होगा कि पाश्चर लैंड से बन्द हो जावे।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री जसवन्तसिंह—what about my amendment, Sir.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Used as established by custom or usage.

श्री नाथूराम—'Used' covers custom and used.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All such land shall be deemed to be grazing lands and, therefore words 'without any payment'......

श्री नाथूराम मिर्धा—ऊपर एक जगह 'used' रखा जावे और दूसरी जगह से 'used' है वह हटा दिया जावे, इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

Page No.56

श्री सभापति—सबक्लॉज़ (२७ ए) पर श्री नाथूराम मिर्धा का एमेंडमेंट है उसको थोड़ा एमेंड करके माननीय मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको श्रीनाथूराम मिर्धा ने भी स्वीकार कर लिया है। यह इस प्रकार होगा :

" 'Pasture land' shall mean land used for the grazing of the Cattle of a village or villages or recorded in settlement records as such at the Commencement of this Act or there-after reserved as such in accordance with rules framed by the State Government"

क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

एज़ एमेण्डेड स्वीकृत हुआ।

(विराम)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

इस पर दूसरा अमेंडमेंट श्री बृजसुन्दरजी का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या हाउस की यह अनुमति है कि श्री बृजसुन्दरजी अपना संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपना एमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या हाउस की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'मेन' क्लॉज़ के बाद यह कैसे हो रहा है कि उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जा रही है ?

श्री सभापति—श्री नाथुराम मिर्धा के अमेंडमेन्ट पर हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो that amounts to a voting on the main clause. या तो उस पर लास्ट में वोटिंग में लेना था या वह ऑटोमेटीकली फॉल डाउन हो जाता।

श्री सभापति—क्लॉज ४, सब सेक्शन २७ (ए) एज़ सबस्टीटयूटेड, स्वीकार करने के बारे में मत लिये जाते है। क्या सदन को यह स्वीकार है,

(स्वीकृत)

क्लॉज ४, सब क्लॉज २७ (ए) सबस्टीटयूट करने की इजाजत दी गई और यह सब क्लॉज, क्लॉज ४ में अंग रूप से जोडा गया।

खण्ड ४ [४३]

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय चेयरमेन, अब सब क्लॉज ४३ में ट्रेसपासर (Trespasser) की डफिनेशन में श्री एच. के. व्यास ने यह एमेन्डमेंट मूव किया था :

"………is entitled for the time being"

उनके अनुसार Instead of this, it should read ;—

"………has been ordered to be placed in such possession" यह एमेंडमेंट इस ख्याल से पेश किया गया था कि इन शब्दों के वहां होने से जो भावना है जिनको पजेशन देने के बारे में फैसला किया जावेगा, वह कवर अप नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने बाकायदा मूव करके माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आपको दे दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरे पास वह है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जानें और वे जानें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (जारी)—तो इस सम्बन्ध में जो 'एन्टाइटल्ड' शब्द है उसके आधार पर लॉ वालों से कन्सल्ट कर लिया गया है और इनका 'entitled' में समावेश हो जाता है और उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं मालूम होती । क्योंकि 'एन्टाइटल्ड' शब्द के अन्तर्गत पजेशन के ओर्डर्स किये जावेंगे और इसमें ये शब्द 'ordered to be placed in possession' समाविष्ट हो जाते हैं । इसलिए इस अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है । श्री बृजसुन्दरजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं दो शब्द कहना चाहूँगा माननीय चेयरमेन । मेरा ख्याल है कि जो मुद्दे की बात है वह अलग रख कर दूसरी बात पर कन्सल्ट किया गया है लॉ डिपार्टमेंट से । यह सही है कि 'एन्टाइटल्ड' शब्द इतना व्यापक है कि उसमें 'ordered to be placed in possession' ये शब्द समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रिसाइजली मेरी यह तो शिकायत है ही कि 'एन्टाइटल्ड' शब्द में इन शब्दों का 'ordered to be placed in possession' समावेश हो जाने पर भी दूसरे भी इस ओर आ जाते हैं और इसका नतीजा क्या होता है ? मैं आपको मिसाल देकर बताऊं । आपने एक आदमी को एक साल के लीज़ पर लेन्ड दिया, साल पूरा होने के बाद अगर वह जमीन वापिस लेने के सिलसिले में प्रोसिडिंग्स के आधीन नहीं की है तो, तो सर्टन कोन्सिक्वेंसेज फॉलो होंगे, और वे कोन्सिक्वेन्सेज़ क्या हैं ? जिस आदमी का लीज़ पीरियड एक्स्पायर होने के बाद भी पजेशन कायम रहने दिया तो उसको कुछ पेमेंट करके खातेदारी हकूक लेने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर अनावश्यक को मयादी तौर पर जमीन देते हैं where pand is let out for a specific period, तो उस पीरियड के खत्म होने के बाद भी जिसको Let out की गई है उसका पजेशन हो सकता है । इसके बाद के एक्ट्स अनावश्यक हो जाते हैं और उसका पजेशन छीन सकते हैं और उसको कुछ अधिकार मिल सकते हैं । तो आप इस वर्डिंग की ओर देखिये । एक साल के लिए लीज़ दिया । साल जिस दिन पूरा हुआ, वे ३६६ दिन जिस आदमी ने लीज दिया, पूरे हुए तो "legally he is entitled to possersion" कानून के माफिक वह अधिकारपूर्ण है । उसके बाद उसको वापिस पजेशन मिलना चाहिए । हां, पजेशन हासिल करने के लिए कार्यवाही करें या नहीं करें, किन्तु कानूनी तौर पर he is entitled. तो 'एन्टाइल्ड' शब्द का मतलब यह है कि whether a man takes proceedings for possesion or not, he is entitled all the same.

तो मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि जो पजेशन दे, प्रोसिडिंग्ली दे, और 'पजेशन दिया जाय', इस प्रकार के आदेश हों, उसका इसमें समावेश हो जायगा किन्तु पजेशन हो जाने के बाद भी पजेशन न हो तो he is legally entitled. लेकिन पजेशन के लिए प्रोसिडिंग्स नही की तो ऐसी कन्डीशन में he is a tenant carry over. After a sub-tenant is permitted to carry over वह ट्रान्सफर नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि यह जो तरीका है शायद इसमें संशोधन नहीं करेंगे तो फिर लीज़ खत्म होने के बाद 'certain consequences will follow.

तो सर्टन सेक्शन वाला क्लॉज १८ है, that will be redundant, infructuous and useless.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जब तक लीगल्ली एन्टाइटल्ड पजेशन के बावजूद भी पजेशन की प्रोसिडिंग्ज को रिकोग्नाइज 'other than a trespasser' नहीं करते हैं तब तक किसी भी हालत में यह क्लॉज़ फायदेमन्द नहीं हो सकता है।

मैं फिर से निवेदन करूंगा कि यह बात सही है कि 'एन्टाइटल्ड' शब्द के बारे में मतलब हो सकता है, 'ordered to be placed in possession.' लेकिन All that is contained in the word 'entitled' is not contained in the words 'ordered to be placed in possession' वह जो हो सकता है। मैं कहता हूँ कि एक्सक्ल्यूड हो जाना चाहिये। मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे से मेरा अमेन्डमेन्ट जो मानने योग्य है, मान लिया जायगा और माननीय मंत्रीजी इस पर फिर गौर करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसको बाद में टेक अप (take up) कर लिया जाय।

श्री सभापति—इनका अमेन्डमेन्ट हमारे पास नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— मूव किया नहीं था, Have you moved it formally ?"

श्री हरिकृष्ण व्यास— Yes you can see the proceedings.

हां, मैंने मूव किया साहब। कोपी दे दी उनको। उन्होंने कहा कि उन्हें दे दो, सो मैंने दे दी। आप प्रोसिडिंग्स मंगवा कर देख सकते हैं।

श्री सभापति—आपने अपना अमेन्डमेंन्ट कब मूव किया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मूव किया था। उसके बाद कहा कि उसको दे दो, सो मैंने उसको दे दिया। सर्कुलेट नहीं हुआ होगा, यह बात दूसरी है। It was not circulated earlier.

श्री सभापति—Atleast it is not in my record.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस दिन की प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख ली जाय। यह उस दिन मूव हुआ था। माननीय उपाध्यक्ष चेयर पर थे और उन्होंने कहा कि आप उनको दे दें।

श्री सभापति—इसके लिए आप इन्तजार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं देख तो लूं कि एक्चुअली है या नहीं ?

Page No.60

श्री सभापति—दूसरा क्लॉज़ लेते हैं, क्लॉज़ ११ (ए) लेंगे आप।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That we will take up after clauses 36 and 37.

खण्ड ४ का 'स्पटीकरण'

श्री जवानसिंह—I hope my amendment is also pending. Explanation to be added at the end of clause 4 and it was Explanation No. 2

श्री सभापति - सब क्लॉज़ ४३ ?

श्री जवानसिंह— (अश्रव्य)

श्री सभापति—श्री जवानसिंह का जो एक्स्प्लेनेशन नं० २ पर संशोधन है वह लिया जाता है।

('सर्कुलेट नहीं हुआ' इस प्रकार की आवाज)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सर्कुलेट हुई है। लिस्ट नं० ५, अमेंडमेंट नं० ७७।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—But, Sir, I have not been able to discuss it so far.

We will take it later on.

श्री सभापति —११ (ए) विचाराधीन है।

Do we proceed with the next Chapter ?

(सदन द्वारा स्वीकृत)

अध्याय ३, खण्ड १३

क्लॉज़ १३, चेप्टर तीन। रावत श्री शंभुसिंह अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करें।

रावत श्री शम्भूसिंह— माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १३ में मेरा अमेन्ड-मेन्ट है।

[रावत श्री शंभूसिंह]

ओरीजिनल बिल में यह खण्ड इस प्रकार है:—

"Classes of tenants—There shall, for the purposes of this Act, be two classes of tenants, namely Khatedar tenants and Ghair Khatedar tenants."

इसमें मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया लाइन दो में "Substitute the word 'three' in place of the word 'two' and insert the words 'Khadamdar tenants' after the word 'namely' occurring in line two of the clause."

माननीय चेयरमेन, यह संशोधन रखने की मेरी मन्शा है कि इस वक्त खातेदार टिनेन्ट्स के अधिकार जो हमने रखे हैं उसमें वे पूरे नहीं होते। खडमदार टिनेन्ट को जो अधिकार इस वक्त तक प्राप्त थे वे उनसे छीने जाते हैं, इस वास्ते खडमदार टिनेन्ट के ट्रान्सफर्स के हक, सब लेटिंग के पॉवर्स, जो अब तक अभिन्न रहे थे उस खडमदार के खातेदार बन जाने पर वे अधिकार नहीं रह सकते और जिसको १३ (ए) में ज्यादा विस्तार से डिफाइन कर दिया है। इस वास्ते १३ (ए) में एक टिनेन्ट और बढ़ा दिया है ताकि उन काश्तकारों को अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। माननीय मंत्री महोदय से आशा है कि मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगें।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १३ जो अभी मौजूदा कानून का है वह इस तरह रीड करता है......" Classes of tenants ;—There shall, for the purposes of this Act, be two classes of tenants, namely, Khatedar tenants and Chair Khatedar tenants. "

मेरा संशोधन जो इस क्लॉज़ के बारे में है वह इस प्रकार है कि इसके बजाय क्लॉज़ १३ इस तरह से सबस्टीट्यूट कर दिया जाय कि "For the purposes of this Act, there shall be the following classes of tenants, namely :—

(a) Khatedar tenants;

(b) Chair Khatedar tanants, and

(c) tenants of khudkasht. "

मैं एक तीसरी तरह की टिनेन्ट की क्लास को और जोड़ना चाहता हूं। खातेदार टिनेन्ट, गैर खातेदार टिनेन्ट तो मौजूदा डेफीनेशन में हैं। जब तक 'जागीर रिज़म्पशन' पूरा न हो जाय और जब तक खुदकाश्त का फैसला पूरी तरह से नहीं हो जाय तब तक जो 'टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त' हैं उनकी तीसरी केटेगरी रखी जानी चाहिये। जो 'टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त' है, जो खुदकाश्त जमीन पर

[श्री नाथूराम मिर्धा]

काश्त करते हैं जिन्हें एक तरह से शिकमी काश्तकार कहा जाता है, ऐसे जो शिकमी टिनेन्ट है उनका इजेक्टमेन्ट न हो। आगे जो धारायें इस कानून में है, उन धाराओं में शिकमी काश्तकारों को यानी जो 'टिनेन्ट खुदकाश्त' हैं उनको हम खातेदारी के हक देना चाहते हैं, लेकिन वे हक हासिल हो सकेंगे तब जब कि इसके लिये जो प्रोसिजर 'ले डाउन' किया गया है उसके अन्दर से गुजरने पर ही और फिर उन काश्तकारों को खातेदारी के हक मिल सकेंगे। तो फिर 'खुदकाश्त ऑफ टिनेन्ट' की विशेष जरूरत नहीं रहेगी। जब तक 'जागीर रिज़म्प्शन' पूरा न होजाय तब तक 'स्पेशल टाइप ऑफ टीनेन्ट' की केटेगरी को रिकग्नाइज़ करना जरूरी है। मैंने जो संशोधन रखा है उसमें इस तरह की केटेगरी मौजूद है। मैंने इस तरह की केटेगरी को सब्स्टीट्यूट करने का यह संशोधन रखा है और मैं आशा करता हूँ कि हाउस इसे सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री भैंरूसिंह—I don't want to move my amendment, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा अमेन्डमेंट यह है। "add at the end : "and sub-tenants".

अभी मेरे मित्र श्री नाथुरामजी मिर्धा ने संशोधन रखा है जिसमें उन्होंने एक नई केटेगरी रखने का सुझाव दिया है खातेदार टिनेन्ट, गैर खातेदार टिनेन्ट व ' टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त'। मेरा ख्याल है कि वह केटेगरी रखने के बजाय सब टिनेन्ट की एक केटेगरी रखना ज्यादा मौजू होगा। जिस उद्देश्य से संशोधन रखा है उस उद्देश्य का जिक्र करता हूँ। एक रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है इजेक्टमेन्ट के बारे में ओवर ऑल। लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों को इजेक्टमेंट करने वाले केसेज दिये हुए हैं। अगर हम सब टिनेन्ट को इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा ? इस बिल का क्लॉज़ यह रह जायगा :

"a sub-tenant can be ejected only on the following grounds,"

ओवर ऑल प्रोहिबिशन नहीं रहेगा। आप तो टिनेन्ट के प्रोटेक्शन के लिए यह क्लॉज़ लगा रहे हैं, for the purpose of this Act. Therefore, he is precluded from the possibility of getting that benefit.

जैसा कि आज भी आर. पी, टी. ओ का जागीरी बिल में प्रोविजन है वह जनरली इनकोर्पोरेट कर ले। यह कन्डीशन रख दें कि खातेदार टिनेन्ट, गैर खातेदार टिनेन्ट पर जहां यह कन्डीशन लागू होगी वहां सब टिनेन्ट को इन सवालों पर इजेक्ट कर सकेगा; तब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

these restrictions shall be useful only when you lay down that a sub-tenant is not ordinarily liable to ejectment.

यह लेड डाउन नहीं, इसलिये सबटीनेन्ट को इस परिभाषा में इन्क्लूड कर लिया जावे ।

रहा सवाल 'टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त' का, वह मेरे अमेन्डमेंट से पूरा हो जाता है । Tenant of khudkasht also is a sub-tenant, सब टिनेन्ट की केटेगरी एड करने में दोनों cover हो जाते हैं । मेरा ख्याल है कि मेरे संशोधन को माननीय मंत्री जी मंजूर करेंगे । यह तीन केटेगरी एड करने के बजाय यह सब टिनेन्ट एड कर दिया जाय तो सब कठिनाइयों का हल हो जायगा खुदकाश्त के लिए । मुझे उम्मीद है कि मेरा अमेन्डमेंट स्वीकार किया जायगा ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि हम एक चीज़ गलत मानकर चलते हैं और वह यह मानकर चलते हैं कि हरेक शब्द के लिए, हरेक आदमी के लिये अलग अलग शब्द प्रोवाइड किया ही जावेगा ।

टिनेन्ट की दो किस्म होती है । एक खातेदार और दूसरा गैरखातेदार । जिस किसी के पास खाता नहीं है वहां सब टिनेन्ट भी खातेदार टिनेन्ट नहीं हो सकता । इसलिए गैरखातेदार को डेफिनिशन और बनाई है तो वहां पर सब टिनेन्ट इन्क्लूड कर दें । मैं तो यह समझता हूँ कि टिनेन्ट दो ही तरह के होते हैं, टिनेन्ट और सब टिनेन्ट । गैरखातेदार टिनेन्ट तो समझ में आता है, पर यह तीसरी प्रकार का टिनेन्ट हमारी समझ में नहीं आता है । जब वह खातेदार बन जावेगा तो दूसरा रह जावेगा गैर खातेदार । तो इस प्रकार गैर खातेदार सब टिनेन्ट तो रहेगा ही नहीं इसलिये गैर खातेदार, सब टिनेन्ट के लिए होगा ।

इसलिये मैं यह समझता हूं कि गैरखातेदार में सब टिनेन्ट इन्क्लूड होना चाहिये, बजाय इसके कि यह तीसरा वर्ड और किया जाय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, इसका सम्बन्ध सेक्शन १५ से है और सेक्शन १५ मौजूदा सूरत में जिस तरह से है उसमें सब क्लॉज़ १५ Land held as Khudka-sht है ।

उसकी मंशा यह है कि "Khatedari rights shall not accrue in the following" तो 'खुदकाश्त लैंड' में कोई खातेदारी राइट्स एक्र्यू नहीं होते । वह खातेदारी टिनेन्ट तो रिअली नहीं

Page No.64

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

है। गैरखातेदारी टिनेन्ट में थोड़ा बहुत आ सकता है; पर 'स्पेसिफिक परपज़' के लिये और 'टैक्निकल परपज़' के लिये उसे अलग करना पड़ा है। उसकी 'स्पेसिफिक लिमिटेशन' है और इसलिये यह स्पेसिफिक ही mention होना जरूरी है। और माननीय श्री नाथूरामजी ने संशोधन रक्खा है कि टिनेन्ट्स की थ्री क्लॉसेज़ कर दी जावें : एक तो खातेदार, दूसरी गैर खातेदार और तीसरा टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त।

ऑर्डीनरी मीनिंग में गैरखातेदार में 'टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त' नहीं आता इसलिये स्पेसिफिकेली मेन्शन करने और साफ मतलब समझ में आ जावे इसलिये इसको अलग करना जरूरी है। इसलिये इसमें जो तरमीम की गई है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, यह जो क्लॉज़ १३ पर अमेंडमेंट पेश हुआ है इसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैं माननीय यादवजी की परिभाषा से संतुष्ट नहीं हूँ कि गैरखातेदार टिनेन्ट की परिभाषा में 'सब टिनेन्ट' भी शामिल हो सकता है।

दूसरा क्लॉज़ १६ मुलाहिज़ा किया जावे तो गैरखातेदार के बारे में यह लिखा है : "Every tenant other than a khatedar tenant, a tenant of Khudkasht or a sub-tenant shall be a Ghair khatedar tenant."

यानि गैरखातेदार टिनेन्ट में से ये तीन तरह के टिनेन्ट निकाल दिये गये हैं, खातेदार टिनेन्ट, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब टिनेन्ट। इस बिल में सब टिनेन्ट और 'टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त' का जिक्र कई क्लॉज़ों में आया है इसलिये जब कई क्लॉसेज़ में इनको अलग अलग कर रहे हैं टिनेन्ट को और कई जगह सब टिनेन्ट्स, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और खुदकाश्त को रैफर करते हैं तो उनको क्लॉसिफिकेशन में से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि 'क्लॉसेज़ ऑफ टिनेन्ट्स' में ये दो ही नहीं रक्खे जावें बल्कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और टिनेन्ट भी रक्खे जाने उचित हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो क्लासेज़ ऑफ टिनेन्ट की हैं उसमें Sub-tenant is not a class of Tenant.

इससे खुद में ही सब खुलासा हो जाता है। यह चीज़ तो यहां कतई नहीं उपयुक्त होती। सब टिनेन्ट अपने स्थान में अलग से आवेगा। इस बिल में टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त यूज़ हुआ है, इसलिए उसको रखने का संशोधन आया है। वह तो सही प्रतीत होता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रहा गैरखातेदारी टिनेन्ट। उसका रक्खा जाना आवश्यक है कि नहीं, इसके लिये यह मानकर कि उसको खातेदारी राइट्स एक्‌ नहीं होते, उसको किसी में शामिल नहीं किया जा सकता, उसको अलग ही रक्खा जाना ठीक होगा। जैसे मान लीजिये भाखरा और चम्बल के एरिया में जो काश्तकार होंगे उनका आखिर क्या होगा ? वे गैर खातेदार टिनेन्ट होंगे और दूसरे खातेदार टिनेन्ट के अधिकार उनको दिये नहीं जा सकेंगे। इसलिये इनको अलग से स्पेसिफिकली रक्खा जावेगा। खातेदार टिनेन्ट के लिए इसमें अलग से स्पेसिफिक प्रोवीज़न्स हैं। इसलिये जो संशोधन रक्खा गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और इसकी लैंग्वेज को भी मानने में मुझे एतराज नहीं है।

और दूसरा सब टिनेन्ट के लिये प्रस्ताव रखा गया है।

श्री जवानसिंह—यह भी एक चीज़ स्पष्ट कर दें। आफ्टर दी रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स" (after the resumption of Jagirs) उनका स्टेटस अपने आप कैसे बन जावेगा जब कि इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—खातेदारी के जो दूसरे काश्तकार होते हैं उस तरह वे सब टिनेन्ट होंगे। जो टिनेन्ट वहां पर हैं उन टिनेन्ट्स, जैसे सब टीनेन्ट को खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का राइट दिया है, उसी प्रकार उनको भी वे ही अख्तियार होंगे।

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि जागीर रिजम्शन के बाद में टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त अपने आप टिनेन्ट्स बन जावेंगे ?

तो आज जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति उस वक्त भी रही। रिज़म्पशन होने की, कि अभी जैसे टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त अपने आप खुद टिनेन्ट बन गया, तो उसी प्रकार का प्रोवीजन तो इसमें रक्खा नहीं गया कि उस वक्त भी वह अपने आप टीनेन्ट बन जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी अलग से रखने की आवश्यकता क्या है ? सब टिनेन्ट को डिफाइन किया है तो इससे automatically Tenant of Khudkasht will be turned to be a Sub Tenant. ऐसी परिस्थिति में इसको अलग से रखने की आवश्यकता नहीं रहती।

रावत श्री शम्भूसिंह—On a point of information, Sir...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी वही खडमदार की बात होगी ?

रावत श्री शम्भुसिंह—जी नहीं। आपने जब 'सब लेट' करने का अधिकार नहीं दिया तो यह कैसे माना जावेगा कि कोई खुदकाश्त का कोई टिनेन्ट हो जावेगा तो जब सब लैट करने का अधिकार नहीं है तो टिनेन्ट कैसे हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि आगे के प्रोविजन हमारे सामने आवेंगे तो सब स्पष्ट हो जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा खयाल है कि यह क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है इसका पर्पज़ क्या है? इसके बारे में कई डिफरेन्ट ओपीनियन्स नजर आती है।

मेरा जहां तक ख्याल है वह यह है कि टिनेन्ट्स, जनरली इन्क्लूडिंग सब टिनेन्टस को हम इजेक्टमेंट के खिलाफ राहत दे रहे हैं। यह इन्टेन्शन है इस लेजिस्लेचर का और उधर बैठने वाले मेरे मित्रों का भी। जहां तक मैं समझ पाया हूं, माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी ओपनिंग स्पीच में यह कहा था कि हम सब टिनेन्ट को भी प्रोटेक्शन देंगे कि वह भी बेदखल न हो सके।

अब आप क्लॉज ११८ की तरफ देखें तो इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है कि "No Tenant shall be ejected from his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act."

यह ठीक है क्लॉज़। उसके बाद खातेदार को किन किन कन्डीशन्स पर इजेक्ट किया जा सकता है? गैरखातेदार के लिये स्पेशल कन्डीशन्स होंगी। क्लॉज़ १३१ "Additional provision for ejectment of Ghair khatedar or sub-tenant." अब मुश्किल तो यह है माननीय चेयरमेन, कि इस बेचारे सब टेनेन्ट के लिए एडिशनल प्रोविजन यह बना दिया गया इजेक्टमेंट में कि खातेदार टिनेन्ट के लिये जो जो इजेक्टमेंट के प्रोविज़न्स हैं उनके अलावा एडिशनल प्रोविजन उसके लिए बना दिया गया है, लेकिन प्रोटेक्शन कहां दिया गया? प्रोटेक्शन तो आप पहले उसको दे दें इस एक्ट के लिए दो ही बराबर के टिनेन्ट होंगे। इजेक्टमेंट के बारे में जो ११८ क्लॉज़ है उसमें वह सबटिनेन्ट कहां इनक्लूड होगा, यह main point है। इसके बारे में कोई सफाई नहीं हैं यानि कहीं तो जोर दिया जाय।

श्री कपिलदेव—अभी समझ में नहीं आया बाबूजी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब समझा दें अगर समझ में आया तो, और अगर कहीं गलती हो तो सुधार लें।

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुये)

Clause 118 says:

"No tenant shall be ejected from his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act." Does it or does it not?

श्री कपिल देव—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुये) Then you lay down conditions for ejectment of khatedar tenants and then additional additions for ejectment of Ghair Khatedar tenants ? This is all right. Does this clause apply to sub-tenants ? you do not treat him in the category of tenants at all.

श्री कपिलदेव—See the definition of......

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) If there is no contrary intention, only it will apply. This means you are leaving it to the interpretation of the Courts. Why leave it to the interpreation of the Courts, यही मुझे कहना है ? उनकी समझ में आ गया है ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ के बाबत श्री नाथूराम मिर्धा का जो एमेंडमेंट है, जिसे मन्त्रीजी ने स्वीकार भी किया है, वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

इसी क्लॉज़ में रावत श्री शम्भूसिंह का एमेंडमेंट है, क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

श्री एच. के. व्यास का क्लॉज़ १३ में एक अमेंडमेंट है । क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, एज सब्स्टीट्युटेड, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

clause 13, as substituted, is added to the Bill.

खण्ड १३ ए

इसके बाद १३ (ए) एड कराने के बाबत रावत श्री शम्भूसिंह का एमेंडमेंट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कौनसी लिस्ट में है ?

श्री सभापति--लिस्ट नं० १४, सीरियल नं० २४१।

रावत श्री शम्भूसिंह—यह मेरा अमेन्डमेंट क्लॉज़ १३ के बाद में इस प्रकार से है :

"substitute the following new clause 13A after clause 13:—

"13A. Khadamdar tenant-

"Subject to the provisions of section 15 a Khadamdar tenant shall have all the rights prescribed in section 14 and, in addition, shall have full rights of transfer and subletting."

माननीय चेयरमेन महोदय,......

श्री वेदपालत्यागी—on a point of order, Sir, क्लाज़ १३ में जब वह नोटिस देने को माना ही नहीं गया तो किस तरह से इन्ट्रोड्यूस होगा ?

रावत श्री शम्भूसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) मैं अब नया अमेन्डमेंट मूव करता हूँ। चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा एमेन्डमेंट क्लॉज़ १३ के बाद में है। सो बिल को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि राजस्थान के किसानों को अधिक अधिकार देने के बजाय उनके अधिकार कुछ कम किये गए हैं। यह मैं सब किसानों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन कई भागों में जो कि किसानों को जो अधिकार इस वक्त प्राप्त हैं उनको कम कर दिया गया है। इसके वास्ते यह 'क्लॉसेज़ ऑफ टिनेन्ट्स' हैं इनमें यह अमेंडमेंट रखवाने के वास्ते प्रयत्न किया गया था जो कि मंत्री महोदय ने अस्वीकार कर दिया है और इसी वास्ते यह क्लॉज़ एमेंडमेंट के जरिये रखवाने की नौबत आई है।

चेयरमेन महोदय, मुझे इस बात का हठ नहीं है कि ये शब्द रख ही लिये जांय। इनकी क्लॉसेज़ कर दी जायं। मैं यह चाहता हूँ कि जिन काश्तकारों ने नजराना और रुपया देकर जमीनें

[रावत श्री शंभूसिंह]

खरीदी हैं उन जमीनों के मुताल्लिक उनको ट्रान्सफर के अधिकार होने चाहिये । उनको 'सबलेटिंग' के पूरे अधिकार नहीं हों, यह तो उनके साथ अन्याय होगा । मंत्री महोदय ने खातेदारों पर जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाई हैं उन रेस्ट्रिक्शन्स को हटा लें और खडमदार को जैसा है वैसा ही रखा जाय तो मैं उन्हीं खातेदारों को खड़मदार मानने को तैयार हूँ जिसने कि नजराना देकर, रुपया देकर, खरीदकर जमीनों पर प्रोपर्टी राइट्स एक्वायर किये हैं । उनके राइट्स को, उनको इस तरह से गोया रखा जाय, यह वाजिब बात नहीं होगी । इस वास्ते मैं निवेदन करता हूँ कि यह १३ ए जो क्लॉज़ है उसको क्लॉज़ रखवाने के वास्ते यह एमेन्डमेंट रखा है । यह काश्तकारों की रक्षा के वास्ते है और वाजिब है। मंत्री महोदय खातेदार टिनेन्ट्स को पूरे अधिकार दें और उन पर किसी किस्म के रेस्ट्रिक्शन्स नहीं लगायें, अगर उन रेस्ट्रिक्शन्स को हटाने के वास्ते तैयार हैं तो इसकी फिर जरूरत नहीं है वरना इसको प्रेस करता हूँ ।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो १३ ए के लिए संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में दो शब्द मैं निवेदन करना चाहता हूँ । उन्होंने एक 'खड़मदार' शब्द का प्रयोग इस कानून में करने के लिये १३ ए के प्रोविजन का समावेश किया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जैसा कि डेमोक्रेसी में चल रहे हैं, और जब हमारा खयाल बराबर किसानों की तरफ जाता है और काश्तकारों की भलाई के लिए ही हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, और उन प्रयत्नों में एक हमारा इस काश्तकारी कानून का लाना भी महत्व रखता है, तो उस परिस्थिति में मुझे खयाल आता है उस पुराने रियासती जमाने का कि जहां 'खड़मदार' उन काश्तकार को पुकारा जाता था जिनको विभिन्न अधिकार प्राप्त थे किन्तु उनके बारे में इस वक्त जब कि हम ऊपर से इस बात के लिए रोज जोर देते हैं कि काश्तकारों को हम उनकी जमीन के ऊपर पूरा हक देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और असलियत में जब हम इस कानून की धाराओं को देखते हैं तो परिस्थिति कुछ और ही मालूम पड़ती है ।

'खड़मदार' को जैसा कि अभी मेरे माननीय पूर्व वक्ता ने निवेदन किया था, सबलेटिंग के पूरे अधिकार थे, बेचने के पूरे अधिकार थे और दूसरी तरह से उस जमीन को ट्रान्सफर करने के पूरे अधिकार थे ।

मेरा ख्याल है कि यदि हम किसी की प्रोपर्टी को तरफ देखें तो हम को मालूम हो जायगा कि आदमी अपनी प्रोपर्टी तभी ठीक तरह से समझ सकता है जब कि उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का पूरा अधिकार हो । और जब हम प्रेजेन्ट प्रोप्राइटीशिप को ध्यान में रखते हुए जमीन के सिलसिले में देखते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि हम जो एक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें ऐसी धाराएं हैं जिनसे विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है । आज किसानों को ज्यादा फायदा हो और इनको ज्यादा अधिकार मिले ऐसा हम कहते हैं लेकिन जब हम वास्तविकता की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि

[श्री जवानसिंह]

पुराने जमाने में किसानों को जो अधिकार प्राप्त थे उनके मुकाबले में अब जो नया कानून बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, इस कानून के अन्तर्गत उनको जमीन के अधिकार कुछ भी नहीं हैं। उनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और यदि वे उसे बेचना चाहते हैं तो वे बेच नहीं सकते। उनके ऊपर जो बंदिशें लगा रहे हैं उनको देखते हुए मेरा ख्याल है कि पुराने सामन्तशाही जमाने में उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त थे बनिस्बत इस समय के जब कि हम उनको ज्यादा अधिकार देने का नाम लेते हैं। अवश्य इस बात का प्रोविज़न किया जाय कि काश्तकारों को ऐसा हक होना चाहिये कि वे अपनी जमीन को जिसको उन्होंने किसी समय पूरे पैसे देकर, पूरे अख्त्यार के साथ, खरीदा था, उनको उस समय अपनी जमीन को बेचने आदि के पूरे अख्त्यार थे, अब भी बेचने आदि के पूरे अख्त्यार होने चाहिये थे किन्तु जिन्होंने पुरानी परिस्थिति में जमीन खरीदी थी आज उनपर हम विशेष पाबन्दियें लगा रहे हैं और उनके अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। हमें ख्याल करना चाहिये कि इस बढ़ते हुए तरक्की के जमाने में हम काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, रियायतें दें। मैं देखता हूं कि यह जो संशोधन पेश किया गया है उसकी तरफ सदस्य सोच रहे हैं, अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन आवश्यक है इसे जरूर मंजूर किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब तक इस 'खडमदार' शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है। अगर डेफिनिशन के समय भी यह अमेन्डमेन्ट आता तो यह समय पर होता। अब तो डेफिनिशन का समय भी निकल गया है, अब कैसे आ सकता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूं कि यह डेफिनिशन के समय नहीं आया और अभी जब क्लॉज़ १३ डिसाइड किया उस समय इस अमेंडमेंट को नामंजूर किया तो उसके बाद इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अमेंडमेंट मूव करने के बाद में भाषण एक सज्जन का ऐसा हुआ जैसा कि इलेक्शन के समय भाषण दिया जाता है (हीयर हीयर)। काश्तकारों की जिस ढंग से आपने हिमायत की उस ढंग से इलेक्शन के समय करते तो ज्यादा अच्छा रहता लेकिन मैं तो इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। वे खुद समझते हैं कि यह स्वीकार करने लायक नहीं है।

श्री जवानसिंह—मुझे खुशी इस बात की है कि सिद्धान्तरूप में तो इसको आपने मान लिया, लेकिन कानून की अड़चनों की आड़ ली।

श्री सभापति (श्री राज हिम्मतसिंह)—चेप्टर ३, क्लॉज़ १३ (ए) में सबस्टीट्यूट करने का अमेन्डमेन्ट श्री शंभूसिंहजी का है।

रावत श्री शंभूसिंह—मैं इसको विद्ड्रॉ करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या विद्ड्रा करने की इजाजत देने की हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

रावत श्री शम्भूसिंह—(१६) क्योंकि क्लॉज़ १३ ए पर अमेन्डमेन्ट नापास हो गया है, मैं इसको विद्ड्रा करता हूँ ।

श्री सभापति—क्लॉज़ १४, amendment by Shri Bhaion Singh.

खण्ड १४

श्री भैरूं सिंह—माननीय चेअरमेन, मेरा संशोधन यह है (१) :

"(a) Delete the proviso."

मेरा दूसरा जो संशोधन है उसको मैं मूव नहीं करना चाहता ।

प्रोविजो यह है : "Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to a temporary tenant or lease holder to whom land has bsen let out in gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai Project areas, or such other area as may be notified by the State Govsrnment for the purpose."

माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १४ के अनुसार इस एक्ट के कमेन्समेन्ट के पहले या कमेन्समेन्ट के दिन जो कोई भी काश्तकार स्वयं की जमीन पर काश्त करता था या सब टिनेन्ट था या खुदकाश्त टिनेन्ट था या जिसको इस एक्ट के कमेन्समेन्ट के बाद खातेदारी टिनेन्ट एडमिट किया गया है वे खातेदार टिनेन्ट हो जायेंगे । लेकिन जब प्रोविजो को देखते हैं तो उसमें यह रेस्ट्रिक्शन डाला गया है कि टेम्पोरेरी टिनेन्ट या लीज़ होल्डर किसी ऐसे स्थान पर होगा; जैसे भाखरा, चम्बल, जवाई पर हैं, तो उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे । चाहिये यह था कि उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ के अलावा जितने भी काश्तकार हैं उन सब को इसके प्रारम्भ होने पर खातेदारी राइट्स मिलते । इस प्रकार का अधिकार उन स्थानों के काश्तकारों को भी मिलना चाहिये । लेकिन किस सिद्धान्त के आधार पर इस प्रोविजो को सरकार को रखने की आवश्यकता हुई है, यह मैं नहीं समझ पाया ? इसका मकसद यही मालूम होता है कि सरकार उन एरियाज़ के उन काश्तकारों को अपनी मर्जी के अनुसार, अपने डिस्क्रिशन के अनुसार अदल बदल करती रहे । जब तक उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं होंगे तब तक सरकार चाहे जिस काश्तकार को किसी भी समय बेदखल कर सकती है । मैं समझता हूं यह काश्तकारों के साथ जबरदस्त अन्याय होगा ।

[श्री भैंरूसिंह]

दूसरी चीज टेम्पोरेरी टिनेन्ट के बारे में है। क्लॉज़ १ से आखिरी क्लॉज़ तक इस एक्ट को पढ़ जांय तो टेम्पोरेरी टिनेन्ट का कहीं जिक्र नहीं आया है। सब टिनेन्ट, गैर खातेदारी टिनेन्ट आदि शब्द तो आये है, लेकिन टेम्पोरेरी टिनेन्ट की डेफिनिशन कहीं नहीं आती। जब टेम्पोरेरी टिनेन्ट की डेफिनिशन ही नहीं है तब बिना परिभाषा के टेम्पोरेरी बिना पर, किसी आधार पर, किसी आदमी को मान लिया जाय और यह कहा जाय कि उक्त जमीन पर काश्तकार टेम्पोरेरी था इसलिये कोई राइट एक्र्यू नहीं होता, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि काश्तकारों के साथ न्याय करना है तो जिस प्रकार एक्ट के कमेन्समेन्ट के समय उन लोगों को अधिकार दिये जाते हैं जो काश्तकार हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं होता कि जवाई, चंबल या और किसी एरिया में जो निश्चित किया गया है वहां के काश्तकारों को काश्त के हक नहीं दिये जांय। यह न्याय का तकाजा है कि किसी भी जमीन पर जो काश्तकार काबिज है उसको उस जमीन के पूरे अधिकार दिये जांय। महज टेम्पोरेरी टिनेन्ट के नाम पर सरकार उनको राइट्स न देकर अदला बदली करने में सरकारी अधिकारियों के घर भरने हैं तो इस प्रोविजो की आवश्यकता हैं वरना काश्तकारों के हित की दृष्टि से या सरकार के हित की दृष्टि से इस प्रकार के प्रोविजो की आवश्यकता नहीं है। उनको पूरे अधिकार देने चाहिये। अभी लैंड कोलोनाइजेशन बिल सिलेक्ट के सामने है। उसमें रेस्ट्रिक्शन्स रखी जाने वाली हैं और यह तय होने वाला है कि उन एरियाज़ के काश्तकारों के हक कैसे होंगे? लेकिन पेरेन्ट एक्ट तो यह है। जब इसमें यह रखा रहेगा तो दूसरे एक्ट्स् में भी इसी की तरह से रखना पड़ेगा। मै निवेदन यह करना चाहूंगा कि यदि उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं करना है और यदि न्यायसंगत बात करनी है या कानून बनाना है तो हमको किसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिये। यदि जयपुर, जोधपुर में कोई काश्तकार खातेदार बन जाता है तो चंबल या और किसी नहरी एरिया में उन पर रेस्ट्रिक्शन क्यों रखी जाय और किस आधार पर टेम्पोरेरी टिनेन्ट बनाया जाय?

यदि इस प्रकार का कोई कानून होता कि सब टिनेन्ट के टिनेन्ट बनने की मनाई है, या यह होता कि इतने साल तक काश्त करेगा वह टेम्परेरी टिनेन्ट होगा और उसके बाद वह परमानेन्ट टिनेन्ट मान लिया जायगा तो हमारी समझ में आ जाता कि टेम्परेरी टिनेन्ट यह है। पर जब तक इस परिभाषा का अभाव है तब तक इसकी आड़ में सरकार डिस्क्रिमिनेशन रख कर काश्तकारों को हर तरह से बेदखल करने के पॉवर अपने हाथ में रख रही है। तो सरकार इस तरह इसकी आड़ में गरीबों पर कुठाराघात करना चाहती है, वह न करे। आज जब हम सारे राजस्थान के लिये टिनेन्सी एक्ट बनाने जा रहे हैं, जो आज किसानों की संकुचित दशा है उसको सुधारने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है, तो इस कानून को इस तरह बनाना चाहिये कि जिससे किसान संकुचित दशा में न रह कर उनकी स्थिति ज्यादा सुदृढ़ हो। और इस संकुचितता को दूर करने के लिये ऐसे अधिकार दे देने चाहिये कि राजस्थान में जितने भी काश्त करने वाले है सब टिनेन्ट, टिनेन्ट, टेम्परेरी टिनेन्ट, इन तीन केटेगरी के अलावा हर काश्तकार की राजस्थान के अन्दर किसी भी भाग में खुदकाश्त है तो उसको खातेदार टिनेन्ट माना जायगा, यह अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के कानून

[श्री भैंरूसिंह]

में डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकेगा कि अमुक जगह के काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार देंगे और अमुक जगह के काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार नहीं देंगे ।

तो इन सब बातों को देखते हुए यह उचित चीज़ होगी कि इस प्रकार के प्रोविजो को हटा कर उन लोगों को भी खातेदारी के राइट्स मिल जाने चाहिये ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, माननीय श्री भैंरूसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उससे बहतर और क्या चीज हो.......

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन इस क्लॉज़ के सिलसिले में और मेम्बर साहबान के हैं उनको पहले ले लिया जाय ।

श्री सभापति—श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मुझे अपना संशोधन पेश नहीं करना है लेकिन मंत्री महोदय से एक स्टीकरण के लिये मैं निवेदन करूंगा और वह यह है कि जहां पर हमने टिनेन्ट की परिभाषा की है उसमें 'mortgagee of tenancy rights' और 'co-tent' इन दोनों को टिनेन्ट माना है । यहां पर क्लॉज़ १४ इस प्रकार रन करता है :

"Subject to the provisions of section 15, every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht......"

तो हमने यहां पर sub-tenant और co-tenant को छोड़ दिया तो 'मोर्टगेजी ऑफ टिनेन्सी राइट्स' हैं । वह इस एक्ट के बनने के बाद खातेदार बन जायगा, ओटोमेटिक्ली खातेदार टिनेन्ट बन जायगा । तो जो शख्स उस वक्त मौजूद है उसकी तहत में आने के समय co-tenant और mortgagee of tenancy rights Act के force में खातेदार टिनेन्ट बन जायगा और अगर नहीं बनेगा तो उसके लिये कौनसा प्रोविज़न अदरवाइज़ लागू होगा ?

श्री सभापति—श्री किशनलाल शाह । (अनुपस्थित) श्री एच. के. व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा संशोधन इस प्रकार है । माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ की लाइन ४ में जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं उनमें से : "is admitte as" शब्द हटा दिये जांय और इनकी एवज़ में 'becomes' रख दिये जांय ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि जो शब्द लाइन १० में इस्तेमाल किये गये हैं : "Subject further to any contract not contrary to sectiony, 3" इनको डिलीट कर दिया जाय।

तीसरा मेरा संशोधन यह है कि इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया जाय।

अभी इस क्लॉज़ का जिक्र करते हुए जो बहस हुई है उसके बारे में तो बाद में अर्ज करूंगा, सब से पहले खातेदार बनने के बारे में जो शरायत डाली गई है उनका जिक्र करूंगा, इसके लिये लिखा है :–

"Everv person who at the commencement of this Act is a tenant of land otherwise than expressly provided..." यह तो ठीक है, इसके बाद और है :

"or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant"

अब एडमिटेड एज ए टिनेन्ट (admitted as a tenant) इसका तात्पर्य यह होगा कि एस्टेट होल्डर इस बात को एडमिट करे। यह तात्पर्य होगा तो इस क्लॉज़ से जो हकूक मिल रहे हैं उनमें बेकार की कानूनी बंदिश लगाई है। इसके एवज में अगर शब्द 'be comes' रख दिया जाय तो एस्टेट होल्डर मंजूर करे या न करे टिनेन्ट हो गया है तो उसके अधिकारों की रक्षा हो जायगी। मैंने यह संशोधन रखा हैं इसमें। इस बात का खयाल रखा है कि ऐसे ऐसे संशोधन और भी दूसरे लेजिस्लेशन में हुए हैं। "Payment of Wages Act" के बारे में हुआ है। एम्पलोयर एडमिट करे तो यह रखा है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में कार्यवाही चली है। इस बिना पर यह जो construct कर "admitted as tenant" शब्द रखे हैं इनका तात्पर्य यह हुआ कि अगर एस्टेट होल्डर एडमिट नहीं करे तो burden of proof टिनेन्ट के ऊपर बुरी तरह पड़ जायगा तो उसको साबित करना मुश्किल हो जायगा कि वह टिनेन्ट है कि नहीं, है तो किस केपेसिटी (capacity) का टिनेन्ट है। तो equal basis पर "becomes a tenant" यह शब्द रखे जांय। एस्टेट होल्डर कहते हैं नहीं बना और टिनेन्ट कहता है बन गया, तो estate holder को prove करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक का एडमिट करना, दूसरे को नहीं करना, इसको प्रमुख स्थान नहीं देना है।

दूसरा मैंने संशोधन पेश किया है, उसका ताल्लुक है अगर कोई कन्ट्रेक्ट है : "Subject to the provisions of this Act..."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यहां तक तो ठीक है और. "Subject further to any contract not contrary to section 3" यानि इसका मतलब यह होगा कि उसे खातेदारी के हकूक मिल जायेंगे, पर इस बीच में कोई कन्ट्रेक्ट कर दिया है तो उसका असर उस हक पर पड़ेगा। टिनेन्ट का इस क्लॉज़ में जिक्र करते हुए किसी प्रकार के कन्ट्रेक्ट की जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्ट्रेक्ट हो गया है तो वह उसे खातेदारी के हकूक से महरूम नहीं कर सकता। अगर महरूम नहीं कर सकता तो उसका जिक्र करना अनावश्यक है।

तो यह तो मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट हुआ जिसका ताल्लुक खातेदारी हकूकों से है और अन्य सिलसिलों में दूसरे कोन्ट्रेक्ट हो गये उनका कोई भी समावेश नहीं है।

अब मेरा तीसरा अमेन्डमेंन्ट है। मेरे एक मित्र ने अभी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए काफी दलीलें दी है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक दलीलें दी हैं कि कोनसी जमीनों में सिंचाई की व्यवस्था हो गई, और किस जमीन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई। किसी जमीन पर काश्तकार काश्त करता है। जब वह जमीन अच्छी होने को हो यानि उस जमीन में पानी आवे और जमीन सुधरे तो फिर वह जमीन उसको क्यों न दी जावे? उस पर उसको हकूक क्यों न मिले? अगर कोई किसी का मिलने वाला है तो उसको तो वह जमीन मिल जावेगी। मगर जो काश्तकार उस जमीन पर काश्त कर रहा है अभी काफी अर्से से और वह जमीन इतने अर्से तक बंजर पड़ी हुई थी और पानी आने से वह अच्छी जमीन हो जावेगी तो उसको क्यों नहीं दी जावे, जो काश्त बहुत अर्से से करता है। इस माने में इस जमीन को खातेदारी से हटाना इस क्लॉज़ से मैं समझता हूँ, गैर वाजिब है और इसी वजह से मेरा यह संशोधन है और आशा, करता हूँ कि इन तीनों संशोधनों को स्वीकार किया जावेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, मेरा एमेन्डमेन्ट सीरियल नम्बर ५० पर है। मैंने इसनें दो-तीन एमेन्डमेन्ट्स रखे हैं। मेरा पहला एमेंडमेंट यह है: "Insert the figure '(1)' after the opening words 'Khatedar tenants'.

(श्री कपिलदेव अग्रवाल का ट्रेज़री बेंच पर श्री राजस्व मंत्री के पास बैठे देखने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, क्या डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यु विराजे हैं? ये नये डिप्टी मिनिस्टर कब से हुए?

श्री श्यामलाल गोयल—(भाषण जारी रखते हुए) मेरा पहला एमेन्डमेन्ट इसलिये है कि जो मौजूदा क्लॉज़ १४ है उसमें (१) जुड़ जाने से यह सब क्लॉज़ (१) हो जावेगा और जो

[श्री श्यामलाल गोयल]

मेरा आगे आनेवाला आयन्दा अमेन्डमेंट है वह सब सेक्शन (२) एड हो जावेगा। दूसरा अमेंडमेंट है वह यह है :

"Before the first word 'land' in the thrid line add the word 'occupied.' "

यह एमेन्डमेंट मैंने इस क्लॉज़ में विशेष कारण से रखा है। जयपुर स्टेट में अक्सर चकबन्दी जमीनों की हुई है, और इससे कुछ जमीनों के फार्म भी मिल गये है। कुछ पाश्चर लैंड मिल चुकी है और कुछ जमीन ऐसी है जो सिवाय चक लैंड है। यह सिवाय चक लैंड वैसे ही पड़ी रहती हैं और जयपुर का अनुभव यह बताता है कि प्राय: यहां के काश्तकारों ने बिला इजाजत के इस जमीन पर काश्त कर ली है है और वे लोग दो-दो, तीन-तीन या इस से भी अधिक चार साल होगये बराबर काश्त करते होंगे और साथ में यह भी देखा गया है कि यहां का तरीका है कि इस जमीन को जो लोग इस तरह से काश्त करते हैं, जो जमीनें इस तरह से 'ड्यूली लेट आउट' नहीं हैं, फिर भी सरकार उन लोगों से भी लगान लेती है। रेन्ट और टीनेन्ट की डेफिनेशन के माफिक जब से सरकार उनसे लगान वसूल कर रही है। हालां कि वह जमीन 'ड्यूली लेट आउट' नही हैं और वे लोग ट्रेसपासर हैं, लेकिन वे टिनेन्ट हो जाते है, क्योंकि वे लोग रेन्ट सरकार को देते है। इस एक्ट के माफिक कोई भी रेन्ट देने वाला व्यक्ति खातेदार टिनेन्ट हो जावेगा इसी तरह से जो शख्स जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर बैठा है और वह एक ट्रेसपासर है, लेकिन सरकार को वह लगान देता है और सरकार उससे लगान लेती है, इसी वजह से जमीन का वह खातेदार टीनेन्ट है। मैं यह कहूंगा कि यह इस दफा की कभी मंशा नहीं हो सकती। ऐसे आदमियों को खातेदारी हकूक देने की मन्शा सरकार की नहीं है। इसीलिये मैंने इसमें से शब्द "as a tenant of land" की बजाय "as a tenant of occupied land" जोड़ दिये। 'occupied land' की डेफिनेशन क्लाज ४ में है और that is:-

" (27). 'Occupied land' shall mean land which for the time being has been let out to, and is in the occupation of a tenant, and includes Khudkasht, and, "unoccupied land" shall mean land which is not occupied; "

यह जो occupied land की डेफिनेशन दी गई है उसमें वह लेंड इन्क्लूडेड है जो किसी काश्तकार को 'ड्यूली लेट आउट' हो और जिस शख्स के पजेशन में हो उसको जरूर खातेदारी मिलनी चाहिये। यह मेरा भी मानना है और बिल बनाने वालों की भी यही मन्शा होनी चाहिए! लेकिन यह मंशा नही हो सकती कि occupied land हो और जिसका जिससे लगान लिया जाता हो, उन लोगों को भी, जो ट्रेस्पासर हैं, खातेदारी राइट्स मिल जावें। इसलिये मैंने जो 'occupied' शब्द रखा है उसको जोड देने से उन्हीं लोगों को खातेदारी के हकूक मिलेंगे जो 'ड्यूली लेट आउट' लेंड काश्त करते हों और 'अन ड्यूली लेट आउट' वालों को नहीं मिलने चाहिये। यह मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट है, जिसको मैं प्रस्तुत करता हूँ :

[श्री श्यामलाल गोयल]

तीसरा मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार पढ़ा जावे;-

"add the following proviso as the first proviso to section (14) sub section (2) :-

"(2) The Khatedar tenant shall be entitled to receive a formal parcha

(a)at the time or settlement or re-settlement under the seal and signature of the settlement or assistant settlement officer;

(b) during the currency of settlement under the seal and signature of the sub-divisional officer,"

अब, जहां जहां चक बन्दी हो रही है वहां जो भी खातेदार टिनेन्ट हैं उन सब को फोर्मल पर्चे दे दिये गये हैं। वे सेटलमेन्ट ऑफीसर के सिग्नेचर से दे दिये जाते हैं। इस बिल में lease और counter-part of lease के लिये आगे प्रोवाइड किया है:—

'18. Every tenant, upon admission to a holding shall be entitled to receive from his land-holder a written lease consistent with the provisions of this Act in the prescribed from and containing the prescribed particulars."

तो यहां जहां तक यह प्रोविजन है एप्लाई हो सकता है 'on parties oyther than the Government." जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है चकबन्दी करावे और उसके बाद जो टिनेन्ट जिस जमीन के लिये एन्टाइटल हो उसको उस जमीन का पर्चा मिल जावे और उसके अनुसार कब्जा हो। अभी सब जगह यही चल रहा है। अब इस धारा को धारा १८ के साथ पढ़ने का असर है। अब सरकार जो काश्तकार को जमीन काश्त के लिए बतलावे उसके लिये काश्तकारों को lease देना होगा और काश्तकारों से counterpart of lease देना होगा। लेकिन जब खातेदारी पर्चे मिल गये तो यह गैर जरूरी है और खातेदारी पर्चे काफी होने चाहिए। और वही काफी होने चाहिये। lease की जरूरत नहीं है, that should be specified. इसमें लीज़ और काउन्टर लीज़ की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आगे चल कर provide किया है 'It should be rogistered.' और सरकार को exempt किया है।

"Provided that nothing contained in this sub-section...........shall apply to the State Government."

यह इस क्लॉज़ में प्रोवाइड किया है उसकी जरूरत नहीं रहती। Jaipur State Tenancy Act का corresponding section में ऐसा ही है वही हमारे यहां भी टेक्नीकल परपज़ के लिए जरूरी है।

[श्री श्यामलाल गोयल]

lease or counter-part of the lease Section 18 में जरूरी है। हर एक को, चाहे सरकार हो या और कोई इस सेक्शन में इसका प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उनको अपना पर्चा return करना पड़ेगा और अगर वे अपना पहले का पर्चा return नहीं करेंगे तो आप उनको पर्चा तो देंगे ही लेकिन इसके साथ आपको उसे लीज और देना पडेगा और " counter-part of the lease " लेना पडेगा which is never the intention of the Government. इसलिये मेरा यह जो तीसरा अमेंडमेन्ट है उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ और यह एक बहुत जरूरी एमेन्डमेन्ट है। मैं समझता हूँ कि इसको मन्जूर करने से बहुत सी दिक्कतें बच जावेंगी।

चौथा मेरा अमेन्डमेन्ट यह है :—

" (4) Add the following proviso as the first proviso to section 14 :-

'Provided that the Pattedar tenants, as defined in the Jaipur Tenancy Act, 1945, shall be refunded the Nazrana paid by them to the Government and shall be khatedar tenants'

अभी माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने भी एक अमेन्डमेन्ट इसमें 'पुट अप' किया है उनके अमेन्डमेन्ट के माफिक जयपुर टिनेन्सी एक्ट में जो टिनेन्ट्स की कैटेगरीज़ हैं उसी के माफिक इसमें पट्टेदार बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। अगर उनका अमेन्डमेन्ट, उन्होंने जो पेश किया है वह मंजूर हो जाता है तो मेरे अमेन्डमेन्ट की जरूरत नहीं रहती है। अगर उनका अमेन्डमेन्ट मंजूर नहीं होता है तो मैं इस अमेन्डमेन्ट को जरुरी समझता हूँ और कॉस्टिट्यूशन के लिहाज से भी मैं जरूरी समझता हूँ कि इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर किया जाय।

जयपुर टिनेन्सी एक्ट में तीन तरह के टिनेन्ट्स माने गये हैं पट्टेदार, खातेदार और गैर खातेदार। पट्टेदार टिनेन्ट्स को जयपुर टिनेन्सी एक्ट में स्पेशल राइट्स दिये हैं। उनमें से दो-तीन ऐसे हैं जिनको विशेष कर मैं बतलाना चाहता हूँ और बतलाने की जरूरत इसलिए है कि उनके राइट्स को इस मौजूदा टिनेन्सी बिल में कर्टेल कर दिया गया है। पहला राइट है ट्रान्सफर का। उस एक्ट में पट्टेदारी टिनेन्ट्स को अगर वह चाहे तो किसी एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर कर सकता है, उसको ट्रान्सफर करने के पूरे राइट्स हैं। अगर कोई नोन एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर करता है तो, in the form of mortgage 20 years के लिए और इससे ज्यादा वह कर सकता है; तो उसको सेल के, गिफ्ट के भी राइट्स हैं। सीलिंग वगैरा का सवाल नहीं है। तो इस तरह से ट्रान्सफर के फुल (पूरे) राइट्स उस एक्ट के तहत में उसको हैं।

दूसरा जयपुर टिनेन्स एक्ट के तहत में सब टिनेन्ट्स को सब लीज़ के भी पूरे राइट्स दिये हुए हैं। उसमें रेस्टिक्शन्स "Three years, five years" इस प्रकार के नहीं हैं। जो Trees पट्टेदार

[श्री श्यामलाल गोयल]

के एरीया में है उनके लिए उसको पूरे राइट्स हैं। वह अपने काम में ले सकता है और जिस तरह से पट्टेदारी टिनेन्ट चाहे उस तरह से उनको काम में ले सकता है और बेच सकता है। है। उसके मुकाबले में जो प्रोविज़न्स हमारे मौजूदा बिल में किये गये हैं जो अन्यत्र आने वाले हैं उसके माफिक उनकी पोजिशन पट्टेदार से हटाकर खातेदार की कर दी गई है। उनके राइट्स कर्टेल करके खातेदार के राइट्स कर दिये गये हैं, ट्रान्स्फर के राइट्स कर्टेल कर दिये गये हैं। गिफ्ट इत्यादि के राइट्स को कर्टेल कर दिया गया है। ट्रीज़ को agricultural purposes के लिये ही काटा जा सकता है, सब लीज़ के राइट्स रखे हैं, वे भी दो, चार, पांच साल के लिए रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल के द्वारा उनके राइट्स को कर्टेल किया गया है और जब उनको पट्टेदारी राइट्स दिये गये थे तो उनसे नजराना लिया गया था। बारानी जमीन के लिए पांच रुपया, नहरी जमीन के लिए दस रुपया और चाही जमीन के लिए १५) रुपया नजराना लेकर उनको ये राइट्स दिये गये थे। वे राइट्स इस बिल द्वारा छीने जाकर उनके राइट्स वे ही किये जा रहे हैं जो कि एक खातेदार टिनेन्ट के थे जिन्होंने कोई नजराना नहीं दिया। तो इस तरह से जो पहले उनके राइट्स थे उनको कर्टेल किया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि इस तरह से संविधान के माफिक भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी शख्स के राइट्स छीनना चाहें तो आपको कम्पेन्सेशन देना होगा। आपने जागीरदारों को, जागीरें रिज्यूम करने के लिए उनको पैसा दिया, आपने उनको कम्पेन्सेशन दिया। आप पब्लिक युटीलिटी के लेन्ड लेते हैं तो कम्पेन्सेशन देते हैं। जहां कहीं भी लेन्ड लिया जाता है तो कम्पेन्सेशन दिया जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि बिना कम्पनसेशन दिये हुए और उस केटेगरी के टिनेन्ट को हटाकर पट्टेदारी टिनेन्ट में क्यों कर ला सकते है? मैं समझता हूं कि बिना कम्पेन्सेशन दिये उनके राइट्स को छीना जाना, यह अगेन्स्ट दी कोन्स्टिट्युशन (against the constitution) होगा और इसलिए मैंने यह 'Provided' करके प्रोविज़ो रखा है कि

"Provided they are paid back the Nazrana money" etc. etc.

इसका दूसरा रीज़न यह है कि जिस वक्त पट्टेदारी की गई उस वक्त क्लीयर अन्डरस्टेन्डिंग यह थी कि जितना रुपया इस प्रकार आयगा, नजराने से जितना रुपया आयगा, वह काश्तकारों की बहबूदी के लिए खर्च होगा। किन्तु एक पैसा भी उनकी बहबूदी के लिए नहीं लगा State के coffers में after and before the formation of Rajasthan : वह सब रुपया गया।

यह मैंने जो अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है वह इसलिए किया है कि आयन्दा चल कर जो वैधानिक आपत्तियां आयें उनको यह रिमूव करने वाला हो। या तो आपने पट्टेदारी टिनेन्ट का जैसा प्रोविजन 'जयपुर टिनेन्सी एक्ट' में किया है उसी माफिक यहां भी करिये, वे ही राइट्स दीजिये और अगर नहीं देना चाहते हैं तो नजराने के बतौर जो रकम आपने उनसे ली है वह 'as a compensation' उनको रिटर्न कर दीजिये। अतः आखिरी मेरा संशोधन इसमें यह है कि "In the existing proviso after the first word 'proviso' insert the word 'further'."

[श्री श्यामलाल गोयल]

जो ऑलरेडी प्रोविज़ो है मेरे प्रस्तुत किए हुए प्रोविज़ो के आगे यह 'फरदर प्रोविजो' हो जायगा and this will be the second proviso.

इन अमेन्डमेंट्स को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके मैं आशा करता हूँ कि मेरे अमेन्डमेंट्स को स्वीकार किया जावेगा।

(श्री श्रीदास गोयल बोलने के लिए प्रस्तुत)

श्री सभापति—आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है।

(विराम)

श्री नाथूलाल मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरा अमेन्डमेन्ट १८६ है और लिस्ट नं० ११ में है।

माननीय चेयरमेन, क्लॉज १४ में जो खातेदार टिनेन्ट की डेफिनिशन दी हुई है और उस डेफिनिशन में जो प्रोविजो है वह इस तरह से रीड करता है:

"Provided that no Khatedar rights shall accrue under this section to a temporary tenant or lease holder to whom land has been let out in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project areas, or such other area as may be notified by the State Government for the purpose,"

मैंने इस प्रोविज़ो के बजाय अमेन्डमेन्ट रखा है वह यह है कि इस प्रोविजो को हटाकर मैंने जो रखा है उस तरीके से इस प्रोविजो को रखा जाय:—

"Provided that no Khatedar rights shall accrue under this section to any tenant to whom land is let out in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project areas or any other areas notified in this behalf by the State Government."

मैंने जो इस प्रोविजो को हटाकर नई प्रोविज़ो सब सब्स्टीटयूट करने के लिए संशोधन रखा है, माननीय चेयरमेन, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि इसमें जो कुछ वर्ड्स जैसे "to a temporary tenant or land holder to whom land has been let out."

वर्ड 'लेट आउट' इतना कोम्प्रीहेन्सिव शब्द है कि इस शब्द के रहने के बाद जो दूसरे शब्द हैं जैसे 'टेम्परेरी होल्डर्स, लीज होल्डर' हैं यानि गंग केनाल, चम्बल, जवाई प्रोजेक्ट्स, में

[श्री नाथूराम मिर्धा]

टेम्पोरेरी तौर पर Government ने लेन्ड अलॉट कर रखी है वह इससे यानि 'लेट आउट' शब्द से कवर हो जाती है। बहुत से शब्द हैं, स्पेसिफिकली लीगल टर्मिनोलोजी जैसी साफ होनी चाहिए वह इसमें नहीं है।

इसलिये अब जो संशोधन रखा है उसमें विशेष तौर से कोई रद्दोबदल सिद्धान्त रुप में नहीं होती। यह तो केवल शाब्दिक ही रद्दोबदल है; वह यह है कि पुराने तरीके को हटाकर नये तरीके से पढ़ा जायगा, जिससे बिल्कुल साफ हो जायगा। लीगल टर्मिनोलोजी में सारा मामला साफ हो जायगा।

इसके अलावा श्री भैरोंसिंहजी ने जो शंका प्रगट की कि भाखरा केनाल, गंग केनाल, जवाई बान्ध पर किसानों को जमीन दी हुई है उनको हटायेंगे तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में यह आबीटरी पॉवर रह जाते है कि वे चाहे जिनको हटा देंगे; तो, मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोविजो रखने की यह कतई मन्शा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों को जमीने मिली हुई है वह तो केवल टेम्पोरेरी अलॉट हुई है। ऐसा हो सकता हैं कि जमीन के अलोटमेंट में किसी प्रकार की गलती हुई तो गलती को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्रोविजो का इरादा है जमीन का ठीक रीज़नेबल होल्डिंग हो और अन इकोनोमिक होल्डिंग न हो। जो जमीन काबिज काश्त पड़ी हुई है। जहां वाटर के आने से जमीन अच्छी हो गई है, उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का जो प्रिन्सिपल है वह खत्म हो जायगा यह उचित नहीं प्रतीत होता। उनको तो टेम्पोरेरी तरीके पर मिली हुई है उनको सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि उनको खातेदारी के राइट्स मिल जायेंगे। उनमें से ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनके पास जमीन नहीं हो। खुदकाश्त की समस्या हल करने का सवाल हमारे सामने है वह इस प्रोवीजो के हटा देने से हल हो जाता है। भाषा में बहुत कुछ 'Misunderstanding' कर दी गई थी, उन सारी चीजों को मैंने अपने संशोधन के जरिये स्पष्ट करने की चेष्टा की है। आशा है मेरा संशोधन स्वीकृत हो जायगा।

माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १४ इस बिल का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यही कारण हैं कि इसमें कई स्वस्थ अमेन्डमेन्ट्स आये हैं। सबसे पहले तो मैं श्री भैरोंसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट 'पट्टेदार टिनेन्ट' के सिलसिले में रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूँ और यह बिल्कुल सही स्थिति है कि किसी भी बिल को पेश करते समय हाउस यह देखें कि हमारा जो मानसरोवर है वह कोन्स्टीट्यूशन है, उस संविधान के विरोध में अगर कोई क्लॉज़ बन जाता है तो वह कहीं अल्ट्रा वायर्स नहीं हो जाय? यह हमें अवश्य देखना चाहिये। जैसा श्री श्यामलाल जी ने अपने तर्क में कहा किसी भी व्यक्ति की प्रोपर्टी जिस पर उसका प्रोप्राइटरी राइट हो चुका है, जो राइट्स उसको पहले से मिले हुए हैं उनको हम किसी बिल के द्वारा या 'लेन्ड एक्वीजिशन एक्ट' के मातहत बिना कम्पेन्सेट किये ले नहीं सकते और जहां तक मुझे याद है जयपुर स्टेट में भी इसी प्रकार प्रोविजन था। उस

[श्री श्रीदास गोयल]

क्षेत्र के एम. एल. एज़. को अनुभव है जिनके क्षेत्रों से लाखों रुपया पट्टे वार टिनेन्ट से वसूल किया गया। एस. डी. ओज़. को, तहसीलदारों को, खासतौर से हिदायत की गई थी कि वे अधिक से अधिक रुपया वसूल करें ताकि वह रुपया उन लोगोंको राहत पहुँचाने में, ग्राम सुधार में लगाया जा सके। वह रुपया श्री वी.टी कृष्णमाचारी के समय में हरेक डिस्ट्रिक्ट से लाखोंकी तादाद में वसूल हुआ। आज इस प्रकार रुपया लेना असुविधाजनक हो जायगा। आज उन तमाम पट्टेदार काश्तकारों को वह रुपया जो लिया गया है वापिस लौटाने का सोचा जाय तो दुबारा कार्यवाही की जरुरत पड़ेगी।

लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर किसी व्यक्ति को हक दे दिया गया रुपया लेकर के तो वह उसका छीना जाना उचित नहीं प्रतीत होता।

अगर पट्टेदार काश्तकार रूपये को वापिस लेने को तैयार नहीं, वह चाहता है मेरे जो हक हैं वे कायम रहें; तो वे हक छीने नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि श्री भैरूसिंहजी ने जो एमेंडमेंट पेश किया है जिसको मैं रिपीट करना जरूरी नहीं समझता. वाजिब है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir the amendment which is being frequently referred to, I do not think it has been moved at all.

श्री श्रीदास गोयल—I have been supporting his amendment and my friend should have a little patience.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He did not move that amendment at all.

श्री सभापति—You can support Mr. Goel.

श्री श्रीदास गोयल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) That is why that amendment is there and I am supporting both the amendments. You hear patiently please.

तो हमारा गुजारिश करने का मकसद यह था कि श्री भैरूसिंह जी का अमेन्डमेंट लिस्ट में आया था।

श्री सभापति—श्री श्यामलाल जी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसका जिक्र कीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) ऐसी परिस्थिति में जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज किया कि कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल का १४, रेड विथ आर्टिकल १३ के

Page No.83

[श्री श्रीदास गोयल]

अन्तर्गत यह अलट्रा वायर्स करार दी जा सकती है। संभव है कि जो पट्टेदार टिनेन्ट्स बन चुके हैं, जिनके पट्टेदार होने के नाते हक प्राप्त हो चुके हैं, जिनका कि जिक्र श्री श्यामलाल जी ने अपने भाषण में किया दफा २० 'जयपुर स्टेट टिनेन्सी एक्ट' के तहत अगर बिना बेनीफिट दिये वे तमाम हक छीन लेते हैं तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि वह दुर्भावनापूर्ण परिस्थिति हो जायगी। मुझे पता नहीं कि श्री भैरूसिंहजी ने वह अमेन्डमेंट क्यों नहीं रखा ?

श्री गोपीलाल यादव—आप रख दीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—(भाषण जारी रखते हुए) मेरा यह अमेन्डमेंट वर्बली मान लिया जाय। माननीय भैरूसिंहजी ने जिस अमेन्डमेंट को छोड़ दिया है वह बदस्तूर क्लॉज़ १४ में रखा जाय। मैं समझता हूँ औरेली भी अमेंडमेंट रखे जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि पट्टेदार काश्तकारों के सिलसिले में डेफिनेशन में उनके हकों के मुतल्लिक गुंजाइश होना जरूरी है। अगर वह नहीं होते तो जितना रूपया उन्होंने दिया उसकी सुरक्षा नहीं। यह जयपुर स्टेट टिनेन्सी एक्ट की खिलाफ वर्जी है और पट्टेदार टिनेन्ट के साथ न्याय नहीं होता।

दूसरा अमेंडमेंट जो प्रोविजो के सिलसिले में दिया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि श्री मिर्धाजी ने जो अमेन्डमेंट रखा है उसका भी विरोध करता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो क्लॉज़ १४ पहले से है वह बदस्तूर कायम रहना चाहिये। मिर्धाजी ने जो प्रोविजो हटाकर अपना दिया है उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति इन प्रोजेक्ट्स में पहले से खातेदारी के हक प्राप्त कर चुका है उसके हक छिन जाते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा के साथ आपसी वार्तालाप)

तो इस प्रोविजो के अन्तर्गत और फिर उनको कोई हुकूक नहीं रहते हैं। तो इसमें माननीय चेयरमेन इस समय 'लैट आउट' वर्ड साथ में मौजूद है और इसिलिए पुराने काश्तकार को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। इस वास्ते अब मेरा कोई विरोध उसमें नहीं रह गया है। यह केवल ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्होंने टेम्पोरेरी बेसिस पर काश्त करना शुरु कर दिया है। इस 'लैट आउट' शब्द से सारी परिस्थिति साफ हो जाती है। पहले मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था और इसलिए मिर्धाजी ने जो इसमें रक्खा है वह सही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Hon'ble Member (Mr. Shridas Goel) opposing or Supporting it ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—That is his choice. He may support it or oppose it.

Page No.84

श्री श्रीदास गोयल—Please don't interfere,

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know what the Hon'blb Member is doing ?

श्री श्रीदास गोयल—After the word 'let out' in his amendment the position is very clear.

श्री सभापति—You (Shri H. K. Vyas) must follow the dabate.

श्री श्रीदास गोयल—Now Please sit. तो यह निहायत जरूरी है कि जो टेम्पोरेरीली लेण्ड काश्त करने लगे हैं उनको हक नहीं होने चाहिये। 'लेण्ड लैस टिनेन्ट' को लैण्ड जोतनी है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को इस तरह के हकूक नहीं मिलने चाहिये और साथ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स के अलावा मैं गुजारिश करूंगा कि जो श्री श्यामलालजी ने रक्खा था—

"Tenant of occupied land" और एड कर दिया जावे तो इस समय 'coccupeid' शब्द की इसलिए जरूरत नहीं कि टिनेन्ट की डेफीनिशन साफ है।

ऐसी परिस्थिति में एक आदमी बिना इजाजत काश्त करता है तो उसे 'ट्रेसपासर' गिना जावेगा। क्लॉज़ १३० में भी यह दिया गया है कि टिनेन्सी के अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे ४ टाइम लगान देना पड़ेगा और फोरन इजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जो खतरा मेरे लायक दोस्त को था वह अब रहता नहीं है। 'टिनेन्ट ऑफ लेण्ड' में सब साफ हो जाता है।

इसलिए क्लॉज़ १४ जो है उसमें मेरे अमेन्डमेन्ट को भी प्रेस कर रहा हूँ और जिसे भैरूंसिंहजी ने ड्रॉप कर दिया उसे भी स्वीकार फरमाया जावे।

श्री सभापति—अब समय हो गया है इसलिए कार्यवाही कल के लिए स्थगित की जाती है। कल फिर प्रातः ८ बजे हम मिलेंगे।

(सदन की बैठक ८ बजकर ३ मिनिट रात्रि को, कल प्रातः आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१७ अगस्त, १९५४।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोतर जो कि प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है ।)

प्रश्न

१४२८ (२५० ई. एम.) श्रीमती यशोदा देवी, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८–क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बांसवाडा में उदयपुर की अपेक्षा लकडी और उसके बनाने के लिए फर्नीचर की मजदूरी की दरें सस्ती हैं ?

(ख) यदि हां, तो फिर बांसवाडे की शिक्षा-शालाओं को जो फर्नीचर उदयपुर से भेजा जाता है वह बांसवाड़े की अपेक्षा सस्ता पड़ता है या मंहगा ?

(ग) क्या ऐसे फर्नीचर के लिए टेन्डर मांगे गये थे ?

उत्तर

फर्नीचर खरीदने के लिए प्रेस विज्ञप्ति द्वारा टैंडर मांगे जाते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि रेटें अमुक अमुक स्थानों के लिए एफ. ओ. आर. बताई जावें । ऐसी विज्ञप्ति के उत्तर में सब लोग कोटेशन पेश करते हैं चाहे वे कहीं के रहने वाले हों , और उन लोगों को माल अपने खर्चे से उस स्थान पर सप्लाई करना पड़ता है कि जहाँ उसकी आवश्यकता हो । सबसे कम रेट का कोटेशन सामान्यतया स्वीकार किया जाता है । यदि बांसवाडे का कोई व्यक्ति टैंडर न दे तो उसको आर्डर देने से मजबूरी रहती है । फर्नीचर में लकडी की कीमत के अलावा कारीगरी, बनावट आदि का भी ध्यान रखना पडता है ।

प्रश्न

१४३१[२४१/इ. एम.] श्रीमती यशोदा देवी, एम. एल ए., डिविजन नंबर ८ क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार शिक्षा विभागीय पाठशालाएं व बैकवर्ड क्लासों की पाठशालाओं का एकीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No.86

उत्तर

क. इस समय ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है, न बैकवर्ड क्लासेज़ विभाग ने ऐसी इच्छा ही प्रगट की है।

प्रश्न

१४३३. (१२५/एल. एल. एम.) श्री प्रतापसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ११७-क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि बीदासर म्युनिसिपल बोर्ड के वाइस चेयरमेन का चुनाव अभी तक नहीं कराया गया है ?

(ख) अगर (क) का उत्तर हां में है तो चुनाव नहीं करवाने का कारण क्या है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।